"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 — माघ 18, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–6/2015/38–2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 756/एस.एण्ड.ओ./एमिटी/2014/7650, दिनांक 26–12–2017 एवं पत्र क्रमांक 756/एस.एण्ड.ओ./एमिटी/2014/7681, दिनांक 10–01–2018 द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम–मांठ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 25 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 35 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)
अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित)

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम परिनियम

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)
अधिनियम, 2005 क्रमांक 13 सन् 2005 की धारा 26 (2) के अंतर्गत)
(छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2014 का संशोधन)

प्रथम परिनियम 2017

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी निकाय, निम्नलिखित प्रथम परिनियम बनाता है।

1- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

एक. ये परिनियम, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ प्रथम परिनियम, 2014, 2017 में अधिसूचित, कहलायेंगे।

दो. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- परिभाषाएं: इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

एक. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005;

दो. ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;

तीन. शब्द और अभिव्यक्तियां जो इस परिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. प्रथम परिनियम निम्नलिखित विषयों पर होगी:

परिनियम क. 01
विश्वविद्यालय का उद्देश्य

अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित उद्देश्य भी होगा :

(1) आवश्यकतानुसार, पाठयक्रम के अद्यतन के लिए उद्योग, संस्थान एवं अन्य संगठन के साथ अनुबद्ध होकर विकास करना।

(2) किन्हीं ऐसे अन्य उद्देश्यों का अनुसरण करना, जैसा कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर शासन द्वारा अनुमोदित किया जाये।

परिनियम क्र. 02
विश्वविद्यालय की मुद्रा (सील) एवं चिन्ह

(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी तथा मुद्रा (सील) की रूपरेखा, ऐसे अग्रतर परिवर्तन या संशोधन, जैसा कि समय–समय पर आवश्यक हो, के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिश्चित की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय, ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो समय–समय पर आवश्यक समझा जाए, ऐसे ध्वज, समूह गान, जावित्र, पदक, वाहन ध्वज तथा अन्य प्रतीक चिन्ह या आलेखी अभिव्यक्यिां, संक्षेपासार, या इस तरह के अन्य, बनाने एवं उपयोग करने का भी विनिश्चय करेगा तथा ऐसे स्वरूप का नही होगा, जो कि राज्य या केन्द्र शासन द्वारा अनुमति प्राप्त न हो।

परिनियम क. 03
कुलाधिपति के सेवा के निबंधन एवं शर्तें

(1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्रायोजित निकाय, सामान्य बहुमत द्वारा, कुलाधिपति के नाम को अंतिम रूप देंगे। प्रायोजित निकाय के अध्यक्ष/सचिव, प्रस्तावित कुलधिपति का नाम, बायोडेटा सहित, अनुमोदन हेतु कुलाध्यक्ष को भेजेगा। कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात, प्रायोजित निकाय, कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा।

(2) कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 16 (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(3) कुलाधिपति, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा परिनियम के उपरोक्त खण्ड (1) के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि कुलाधिपति, पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी, अपना पद तब तक धारण किये हुए रहेगा जब तक कि वह पुनर्नियुक्त न हो जाये अथवा उसका उत्तराधिकारी, अपने पद पर कार्यभार ग्रहण न कर ले।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के प्रमुख होगा।

(5) कुलाधिपति, मानदेय, व्ययों एवं भत्ते, जैसा कि प्रायोजित निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाये, प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(6) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्त लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(7) परिनियम के प्रारंभ में, कुलाधिपति द्वारा कठिनाईयों का निराकरणः

यदि विश्वविद्यालय के कियाकलापों अथवा परिनियम के कियान्वयन में के संबंध में या अन्यथा, कोई कठिनाई उद्‌भूत होती हो, तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के पूर्व, किसी भी समय, आदेश द्वारा, यथाशीघ्र संभव, अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों से संगत, प्रायोजित निकाय की सहमति से, जो उक्त कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कोई नियुक्ति या किन्हीं अन्य कृत्यों के निष्पादन कर सकेंगे तथा ऐसे सभी आदेश, ऐसी रीति में प्रभावी होगी मानों कि उक्त नियुक्ति या कृत्य, अधिनियम एवं परिनियम में उपबंधित रीति में किया गया है।

परंतु यह कि ऐसे आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति, कुलपति की एवं विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकरण की राय प्राप्त करेगा, जैसा कि प्रस्तावित आदेश पर संस्थित किया जाये तथा उस पर विमर्श करेगा।

(8) कुलाधिपति, प्रायोजित निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हो, उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य शैक्षिक सम्मान प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

परिनियम क. 04
कुलपति की नियुक्ति, कर्तव्य तथा शक्तियां

(1) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें, अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उप–धारा (1) से (4) के प्रावधानों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालिक एवं शैक्षिक प्रमुख होगा।

(2) कुलाधिपति की सलाह पर कुलाध्यक्ष, दो वर्ष के लिए प्रथम कुलपति की नियुक्ति करेगा।

(3) पश्चात्‌वर्ती कुलपति, इस प्रयोजन के लिए गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा। खोज समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(एक) प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित दो प्रख्यात शैक्षणिकविद;

(दो) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रख्यात व्यक्ति;

(तीन) कुलाध्यक्ष, खोज समिति के एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(4) खोज समिति, कुलपति की नियुक्ति के लिए कम से कम तीन प्रख्यात शैक्षणिकविदों का पैनल प्रस्तुत करेगा, परंतु यदि कुलाध्यक्ष, खोज समिति की अनुशंसा अनुमोदित नहीं करता है, तो वह, समिति से नवीन अनुशंसा मंगायेगा।

(5) कुलपति, पदेन सदस्य तथा प्रबंध मण्डल का अध्यक्ष होगा।

(6) कुलपति यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम, अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानो का सदभावपूर्वक अवलोकन हो।

(7) कुलपति, उसके द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली सभी प्राधिकरणों एवं निकायों की बैठक आहूत करेगा, जैसा कि अधिनियम में विहित हो।

(8) कुलपति को समिति गठित करने की शक्ति होगी, जैसा कि वह अधिनियम द्वारा उसको सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित समझे। कुलपति की अर्हता, वेतन एवं उच्चतर आयु सीमा, शासन द्वारा अनुमोदित यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार होगा। अन्य भत्ते, प्रायोजित निकाय द्वारा समय समय पर विनिश्चित अनुसार होगा।

(9) अधिनियम, 2005 की धारा 17 में दी गई शक्तियों एवं कर्तव्यों के बाद कुलपति की निम्नलिखित कर्तव्य एवं शक्तियां होंगी:–

(एक) वह विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए जवाबदेह होगा;

(दो) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकों में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा, किन्तु वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वह उस निकाय का सदस्य न हो;

(तीन) वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियां सौंपेगा, जैसा कि आवश्यक समझे। कुलपति, लिखित में, अपना त्यागपत्र कुलाध्यक्ष को दे सकेगा तथा वह अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से अपना पद धारण नही करेगा।

(10) समायिक प्रावधान

अधिनियम या परिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रायोजित निकाय की सहमति से कुलपति, अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं कृत्यों का निवर्हन कर सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे शक्ति का प्रयोग या किसी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो कि अधिनियम या परिनियम द्वारा इस विद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किया जाना है या निर्वहन किया जाना है, उस समय, जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है या ऐसे कर्तव्य का निर्वहन किया जाता हो, मौजूद न हो।

परिनियम क्र. 05
कुलसचिव की नियुक्ति, कर्तव्य एवं शक्तियां

(1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रायोजित निकाय द्वारा किया जायेगा। तथापि, प्रथम कुलसचिव, 2 वर्ष की अवधि प्रयोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलसचिव की अर्हता, यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार होगा।

(3) कुलसचिव के चयन के लिए चयन समिति निम्नानुसार होगीः–

(एक) कुलपति – अध्यक्ष

(दो) शासी निकाय द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ –सदस्य

(तीन) प्रबंध मण्डल द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ –सदस्य

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) चयन प्रकिया, इस संबंध में बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(6) अधिनियम, धारा 18 उपधारा (2) से (4) में उल्लिखित शक्तियों एवं कर्तव्यों के बाद कुलसचिव की कर्तव्य एवं शक्तियां निम्नानुसार होगीः–

(एक) वह विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए तथा विश्वविद्यालय के अन्य संपत्ति को रखने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करें;

(दो) वह अपनी सील एवं हस्ताक्षर सहित अंकसूची, माईग्रेशन प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत महत्वपूर्ण दस्तावेजा को जारी करेगा। वह जारी करने के पूर्व, उपाधि प्रमाण–पत्रों के पीछे अपने हस्ताक्षर सहित कार्यालयीन से सील का अभिलिखित करेगा;

(तीन) वह विश्वविद्यालय, शासी निकाय, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद् एवं कोई अन्य संवैधानिक निकाय या समिति का कार्यालयीन पत्राचार करेगा;

(चार) वह सदस्यों को विश्वविद्यालय प्राधिकरणों के बैठक की तिथि के लिए सूचना जारी करेगा तथा बैठक के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा तथा शासी निकाय, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद् या समिति, जिसका वह अधिनियम के अनुसार सचिव है, के द्वारा अन्य सौंपे गये कर्तव्य करेगा;

(पांच) वह शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् एवं ऐसे अन्य निकाय, जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देशों के अधीन बनाये गये है, की बैठक की कार्यसूची की प्रति उपलब्ध करायेगा तथा कार्यवाही/विवरणों का अभिलेख रखेगा तथा उसे कुलाधिपति एवं कुलपति को भेजेगा;

(छः) वह निकाय की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से ही बोल सकता है, जिसका वह वोट देने के अधिकार के बिना सचिव है;

(सात) वह शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद् एवं अन्य समिति/निकाय, जिसका वह सचिव है, की बैठकों में लिये गये निर्णयों को निष्पादित करने हेतु जवाबदेह होगा;

(आठ) वह ऐसे कागजात एवं दस्तावेज एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करायेगा, जैसा कि कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा मांगे जाये।

(नौ) वह ऐसे सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा उसको सौंपे जाए एवं परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के अनुसार न्यस्त किये जायें;

(दस) वह ऐसी सहायता करेगा, जैसा कि उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कुलाधिपति/कुलपति द्वारा चाहा जाये;

(ग्यारह) वह विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में कार्यरत कर्मचारीगणों (स्टॉफ) के कार्यो का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(बारह) वह, जब भी आवश्यक हो, कुलपति/कुलाधिपति की अनुमति से, विश्वविद्यालय के गैर–शिक्षिकीय स्टाफ/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेगा;

(तेरह) वह विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरूद्ध विधिक वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी हस्ताक्षर करेगा एवं विधिक वादों एवं अन्य विवादों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा;

(चौदह) वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करेगा, दस्तावेज हस्ताक्षर करेगा एवं अभिलेखों को अभिप्रमाणित करेगा;

(पंद्रह) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि कुलपति द्वारा अथवा यदि आकस्मिकता उद्भूत हो कुलाधिपति द्वारा सौपे जाएं।

(7) कुलसचिव, एक माह की सूचना, जो कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित होगा, देकर त्यागपत्र दे सकेगा। वह अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से अपना पद धारण नही करेगा।

परिनियम क्र. 06

मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति एवं कर्तव्य

(1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (सीएफएओ), विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त का कार्य करने हेतु उत्तरदायी एक विश्वविद्यालयीन अधिकारी होगा।

(2) सीएफएओ की अर्हता, शासी निकाय विनिश्चित अनुसार होगी।

(3) सीएफएओ, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

(4) सीएफएओ की नियुक्ति, इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा । चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

एक. कुलपति– अध्यक्ष;

दो. प्रबंध मंडल द्वारा नामांकित एक सदस्य;

तीन. कुलाधिपति/कुलपति द्वारा नामांकित एक सदस्य;

(5) सीएफएओ का कर्तव्य निम्नानुसार होगा:–

(एक) अभिलेखों के उचित संधारण हेतु एवं उनके संपरीक्षित नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के लेखे, बैलेंसशीट एवं निधि का प्रबंध करना;

(दो) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त के कार्यो का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के वित्तीय अभिलेख तथा ऐसे अन्य वित्त संबंधी अभिलेख संधारित करना, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करें;

(चार) वार्षिक बजट तैयार करना, विभिन्न बजट शीर्ष के सम्यक रूप से आबंटन सुनिश्चित करना एवं आबंटन निधि के उपयोजन की निगरानी करना;

(पांच) अक्षय निधि के विनियोजन के संबंध में तथा विनियोजन पर वापसी अनुकूलन के लिए परिपक्वता पर उनके पुनर्विनियोजन के संबंध में वित्त समिति को सलाह देना;

(छः) ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समनुदेशित किया जाये।

(6) सीएफएओ, कुलाधिपति को रिपोर्ट करेगा ।

(7) सीएफएओ के वेतन, भत्ते एवं निर्बंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(8) सीएफएओ की अधिवार्षिकी आयु, बासठ वर्ष होगी।

(9) सीएफएओ, एक माह की सूचना, जो कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित होगा, देकर त्यागपत्र दे सकेगा। वह अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से अपना पद धारण नही करेगा।

परिनियम क्र. 07

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

अधिनियम की धारा 20 (1) के अधीन प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नलिखित होंगे:–

(1) प्रति–कुलपति

प्रति–कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बीच से नियुक्त किया जाएगा।

(एक) प्रति–कुलपति, प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्य के अतिरिक्त, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(दो) प्रति–कुलपति, ऐसी रीति में, कुलपति की सहायता करेगा, जैसा कि कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि कुलपति द्वारा उसको सौंपे जाए।

(तीन) प्रति–कुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) संकाय का अधिष्ठाता / स्कूल का निदेशक

(एक) संकाय का अधिष्ठाता / स्कूल का निदेशक, यदि विभाग / केन्द्र, शैक्षणिक संकाय / स्कूल में संरचित है, कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच से तीन वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्त किया जाएगा।

(दो) संकाय / स्कूल का अधिष्ठाता, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(तीन) संकाय / स्कूल के अधिष्ठाता के निर्बंधन एवं शर्तें, इस संबंध में विनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(चार) संकाय / स्कूल का अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के प्रबंधन करने में कुलपति की सहायता करेगा तथा ऐसे शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा सौंपे जाए।

(3) परीक्षा नियंत्रक

(एक) परीक्षा नियंत्रक, सम्यक रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वारा, तथा ऐसी अर्हता एवं अनुभव के अनुसार, जैसा कि इस संबंध में निर्मित विनियम में विनिर्दिष्ट है, नियुक्त किया जाएगा, जो चयन समिति में होगा।

(दो) परीक्षा नियंत्रक के निर्बंधन एवं सेवा की शर्तें, इसके लिए बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(तीन) परीक्षा नियंत्रक,ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि नीचे दिए गए हैं :–

क. वह अग्रिम रूप से, परीक्षा का कैलेण्डर तैयार करगा तथा अधिसूचित करेगा;

ख. वह प्रश्नप्रत्र के मुद्रण के लिए जवाबदेह होगा;

ग. वह परीक्षा एवं अन्य परिक्षाओं के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करेगा;

घ. वह पेपर सेटर, परीक्षक, मोडरेटर या परीक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों एवं परीक्षा से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध, आवश्यक होने पर, अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा करना;

ङ. वह विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के परिणामों की समय–समय पर समीक्षा करेगा एवं विद्या परिषद् को उसकी रिपोर्ट अग्रेषित करेगा;

च. ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, या कुलाधिपति या कुलपति, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा उसकों सौंपे जाएं।

(4) विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता

(एक) विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्लयू), कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच से दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(दो) मासिक मानदेय एवं अपेक्षित सुविधा, डीएसडब्ल्यू को अनुज्ञेय होगी।

(तीन) डीएसडब्ल्यू, विद्यार्थियों के कार्यो के प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रोक्टार, वार्डन एवं अन्य स्टॉफ की सहायता से, विद्यार्थियों के कल्याण एवं अनुशासन का अवलोकन करेंगे।

(5) निदेशक या संस्थान/स्कूल/विभाग का प्रमुख

(एक) निदेशक/स्कूल/विभाग का प्रमुख, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(दो) निदेशक/स्कूल/विभाग का प्रमुख, उस संस्था/स्कूल/विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होगा।

(तीन) निदेशक/स्कूल/विभाग का प्रमुख, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसी कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियम में विनिर्दिष्ट है।

(चार) निदेशक/स्कूल/विभाग का प्रमुख, संबंधित संकाय अधिष्ठाता एवं कुलपति के प्रति जवाबदेह होगा।

(6) वित्त अधिकारी

(एक) वित्त अधिकारी, प्रायोजित निकाय की सहमति से, विनियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति में गठित समिति द्वारा चयनित की जाएगी।

(दो) वित्त अधिकारी कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(तीन) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, प्रबंधन मंडल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन के अध्यधीन की जायेगी।

(चार) वित्त अधिकारी, ऐसी कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि नीचे विहित है:–

क. वह विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा शाखा का प्रभारी होगा तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।

ख. वह भुगतान के सभी दावों तथा उनकी अनुज्ञेयता का परीक्षण करेगा ।

ग. वह ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि कुलाधिपति या कुलपति या सीएफएओ द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, या विनियम में विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(7) प्रोक्टर

(एक) प्रोक्टर, कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच से दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा ।

(दो) मासिक मानदेय एवं ऐसी सुविधा, जैसा कि प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाये, प्रोक्टार को अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) प्रोक्टर को, डीएसडब्ल्यू द्वारा ऐसे उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य सौंपे जायेंगे, जैसा कि कुलपति द्वारा अनुमोदित हो या विनियम में विनिर्दिष्ट हो ।

(8) इसके अतिरिक्त, प्रबंध मंडल के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति, कुलपति द्वारा की जायेगी, जैसा कि विश्वविद्यालय के सुगम एवं दक्षतापूर्ण कृत्य करने हेतु अपेक्षित किया जाये ।

(एक) अन्य अधिकारी को, सम्यक रूप से गठित चयन समिति द्वारा या किसी अन्य रीति में, जैसा कि विनियम में विनिर्दिष्ट हो, चयनित किया जायेगा।

(दो) अन्य अधिकारी की नियुक्ति, प्रबंध मंडल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन के अध्यधीन की जायेगी ।

(तीन) अन्य अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि अध्यादेश/विनियम में विनिर्दिष्ट हो ।

(चार) शासी निकाय, प्रायोजित निकाय के अनुशंसा पर, यदि अपेक्षित हो, किसी अन्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

परिनियम क्र. 08

शासी निकाय की शक्तियॉ एवं कृत्य

(1) कुलापति, शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा।

(2) अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय में निहित शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कृत्य होंगे :–

(एक) प्रस्ताव, जो कि राज्य शासन को प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित हो, अनुमोदित करेगा;

(दो) व्यापक नीति, योजना एवं प्रक्रिया समय समय पर तैयार करेगा, समीक्षा करेगा एवं अनुमोदन करेगा तथा विश्वविद्यालय के उन्नयन एवं विकास के लिये उपाय सुझायेगा ।

(तीन) कुलाधिपति या प्रायोजित निकाय द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुशंसा करेगा।

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि प्रायोजित निकाय द्वारा सौंपे जायें ।

(3) शासी निकाय, एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठकें करेगा तथा गणपूर्ति पांच होगी ।

परिनियम क्र. 09

प्रबंध मंडल की शक्तियॉ एवं कृत्य

(1) प्रबंध मंडल के कृत्य निम्नानुसार होगी:–

(एक) वित्तीय लेखों सहित अंकेक्षण रिपोर्ट स्वीकृत करना ।

(दो) विश्वविद्यालय का वार्षिक/अनुपूरक बजट तैयार करना तथा उसके विचारण एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष रखना ।

(तीन) यह सुनिश्चित करना कि बजट प्रावधान के अनुसार, व्यय किया जा रहा है।

(चार) विश्वविद्यालय के लिये, उसके शोध एवं विकास गतिविधि के समर्थन हेतु प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए तथा शैक्षणिक कार्यक्रम एवं अधोसंरचना के गुणवत्ता बढ़ाने हेतु वैयक्तिक/संगठनों से वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता का अनुमोदन करना तथा प्राधिकृत करना ।

(पांच) विश्वविद्यालय के सुगम संचालन के लिये अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये परिनियम एवं अध्यादेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये कोई विनियम बनाना, उपांतरित करना एवं अपास्त करना ।

(छः) विद्या परिषद एवं अन्य प्राधिकरण, जो उनको निर्दिष्ट हो, की अनुशंसा पर विचार करना तथा अनुमोदन करना ।

(सात) विश्वविद्यालय के आस्तियों एवं अधोसंरचना पर नियंत्रण करना एवं प्रबधन करना।

(आठ) विजिटिंग फेलो एवं विजिटिंग प्रोफेसरों की नियुक्ति का प्रावधान करना।

(नौ) विश्वविद्यालय के निराकरण हेतु रखे गये किसी भी निधि पर प्रशासन करना ।

(दस) विश्वविद्यालय के बैंक खाते के संचालन को प्राधिकृत करना ।

(ग्यारह) आगामी वर्ष के लिये अंकेक्षकों की नियुक्ति करना एवं उनकी पारिश्रमिक निर्धारित करना ।

(बारह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय, कर्तव्य एवं सेवा के निर्बंधन एवं शर्तों का निर्धारण/अनुमोदन करना ।

(तेरह) शैक्षणिक कार्यक्रम अनुमोदित करना ।

(चौदह) फेलोशीप, स्कालरशीप, स्टूडेण्डशीप, मेडल एवं पुरस्कार संस्थित करना ।

(पंद्रह) विद्या परिषद की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन करना, हटाना या निलंबित करना ।

(सोलह) लिखित में कारणों को अभिलिखित कर, विश्वविद्यालय में गैर–शैक्षिक पदों का सृजन करना, हटाना या निलंबित करना ।

(सत्रह) सेवा संबंधी प्रावधानों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं निबंधन के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी या सेवा से अन्यथा दण्डित या सेवा समाप्ति करना ।

(अठ्ठारह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित करना एवं प्रवृत्त करना तथा समुचित अनुशासनिक कार्यवाही, जब भी आवश्यक हो, करना ।

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों को अभिग्रहण एवं उस पर अधिनिर्णय करना एवं उपयुक्त विचार कर, निराकरण करना ।

(बीस) ऐसे प्रयोजन के लिये ऐसी समिति, ऐसी शक्तियों के साथ नियुक्त करना, जैसा की विश्वविद्यालय के कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

(इक्कीस) अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अन्य विषयों को विनियमित करना तथा निर्धारित करना ।

(बाइस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जैसा कि शासी निकाय द्वारा सौंपे जाये।

(तेइस) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्ररूप अनुमोदित करना एवं उसके चिन्ह/सील के समुचित उपयोग सुनिश्चित करना ।

(चौबीस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिये निधि सृजित करने हेतु अनुरोध करना तथा सामान्य निधि से तथा पुरस्कार एवं स्कालरशीप अवार्ड करने के लिये अनुदान, दान, योगदान, भेंट, पुरस्कार एवं स्कालरशीप प्राप्त करना ।

(पच्चीस) विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यों एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण, निगरानी एवं नियंत्रण करना ।

(छब्बीस) प्रबंध मण्डल के ऐसे निर्णय के क्रियान्वयन के पूर्व प्रायोजित निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना, जो कि विश्वविद्यालय पर वित्तीय भारित हो सकेगा ।

(सत्ताइस) विश्वविद्यालय के सामान्य क्रियाकलापों की निगरानी, नियंत्रण एवं प्रशासन करना।

(2) धारा 23 (उप–धारा (4) (5)) के अनुसार, प्रबंध मण्डल, प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा गणपूर्ति 5 सदस्यों से होगी ।

परिनियम क्र. 10

विद्या परिषद की विरचना, शक्तियॉ एवं कृत्य

(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षिक निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वयन एवं उस पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ।

(2) विद्यापरिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे –

(एक) कुलपति, अध्यक्ष

(दो) प्रतिकुलपति

(तीन) कुलपति द्वारा नामांकित चार संकाय के अधिष्ठाता

(चार) शैक्षिक विभाग/स्कूल के आठ प्रमुख

(पांच) प्रबंध मण्डल द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के बाहर से एक शिक्षाविद

(छः) वैज्ञानिकों शैक्षणिक विदों, तकनीकी विदों एवं अभियांत्रिकों के बीच से कुलाधिपति का दो नामिती

(सात) वैज्ञानिकों शैक्षणिक विदों, तकनीकी विदों एवं अभियांत्रिकों के बीच से प्रायोजित निकाय का दो नामिती

(आठ) कुलसचिव, विद्या परिषद का सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) विद्या परिषद के नामांकित सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी । कोई भी सदस्य, निरंतर दो वर्ष की पदावधि से अधिक के लिये नामांकित नहीं किया जायेगा ।

(4) अध्यक्ष के रूप में कुलपति, विद्यापरिषद की बैठकों पर अध्यक्षता करेंगे तथा उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । तथापि, कुलपति एवं प्रतिकुलपति दोनों की अनुपस्थिति में, कुलाधिपति द्वारा नामांकित कोई अन्य वरिष्ठ प्रोफेसर, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) अध्यक्ष सहित विद्यापरिषद के आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी परन्तु यह कि गणपूर्ति के कारण स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। सामान्यतः विद्यापरिषद की सभी बैठकों के लिये स्पष्ट प्रन्द्रह दिवस की सूचना दी जायेगी तथा कार्यसूची प्रत्रक बैठक की तारीख के कम से कम सात दिवस पूर्व जारी किया जायेगा। आकस्मिक बैठक की सूचना सामान्यतः तीन दिवस होगी ।

(6) विद्यापरिषद के पास निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कृत्य होंगे अर्थात् :–

(एक) किसी विशिष्ट व्यवसाय, जो कि परिषद के समक्ष विचारण हेतु आ सकते हों, के विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्यिों को सहयोजित करना ।

(दो) इस प्रकार सहयोजित सदस्यों को, व्यवसाय, जिसके संबंध में वे सहयोजित किये जाये, के संव्यवहार के संबंध में परिषद के सदस्यों के सभी अधिकार होंगे।

(तीन) विश्वविद्यालय में शिक्षण, शोध एवं संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

(चार) विश्वविद्यालय के उपाधि, मानद उपाधि या कोई अन्य सम्मान या विशिष्टयॉ प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्रबंध मण्डल को अनुशंसा करना ।

(पांच) विश्वविद्यालय के शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण, अध्यापन एवं शोध के मूल्यांकन या शैक्षिक स्तर में सुधार के तरीके के संबंध में निर्देश देना ।

(छः) संकाय या प्रबंध मण्डल या शासी निकाय द्वारा किये गये पहल या संदर्भ पर सामान्य शैक्षिक हितों के विषयों के संबंध में विचार करना तथा उस पर समुचित कार्यवाही करना ।

(सात) अध्यादेश में यथाविहित विषयों में या अंतर अनुशासनिक विषयों में शोध गाईड/सह गाईड के रूप में सहबद्ध करने के लिये उस विषय में प्रख्यात व्यक्ति को मान्यता देना।

(आठ) संकाय/संस्थान/स्कूल के अध्यधीन संगठन के लिये योजना एवं एसाईनमेंट की विरचना, उपान्तरण या समीक्षा करना तथा विश्वविद्यालय के किसी संकाय/संस्थान/स्कूल को समाप्त करने, मान्यता देने या विभाजित करने की आवश्यकता के संबंध में शासी निकाय को रिपोर्ट करना ।

(नौ) अन्य विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के प्रमाण पत्रों, पत्रोपाधियों एवं उपाधियों को मान्यता देना तथा उनकी समतुल्यता निर्धारित करना ।

(दस) अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के सिलेबस अनुमोदित करना तथा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये अध्यादेश के अनुसार परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना ।

(ग्यारह) स्टायफण्ड, स्कालरशीप, मेडल एवं पुरस्कार अवार्ड करना एवं अध्यादेश तथा ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि अवार्ड प्रदान करने के संबंध में समय समय पर निर्धारित किया जाये, के अनुसार प्रदान करना ।

(बारह) विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के सिलेबस एवं विहित सूची प्रकाशित करना या विषयों के लिये पाठ्यपुस्तिका अनुशंसित करना ।

(तेरह) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों/संस्थानों/स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये समिति गठित करना ।

(चौदह) शासी निकाय को परीक्षा कार्यों के लिये मानदेय एवं भत्ते की दरों की अनुशंसा करना ।

(पंद्रह) अधिष्ठाता/अध्यक्ष/निदेशक को अपनी शक्तियॉ सौंपना, जैसा कि वह उचित समझे ।

(सोलह) यथास्थिति, कुलाधिपति या शासी निकाय या प्रबंध मण्डल द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी मामले पर रिपोर्ट देना या अनुशंसा करना ।

(सत्रह) अध्ययन मण्डल की अनुशंसा पर प्रबंध मण्डल को शिक्षकीय पदों के सृजन या समाप्ति के लिये अनुशंसा करना ।

(अठ्ठारह) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि समय समय पर विहित किया जाये ।

परिनियम क्र. 11
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण

धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण निम्नानुसार होंगे :

(1) **अध्ययन मण्डल**

(एक) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय/संकाय/कार्यक्रम के लिये, अध्ययन मण्डल गठित किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता इसके प्रमुख द्वारा किया जायेगा। मण्डल की विरचना, कुलपति के अनुमोदन के लिये संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक के माध्यम से संबंधित प्रमुख द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा।

(दो) मण्डल में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :

क. संकाय/निदेशक का अधिष्ठाता – अध्यक्ष

ख. चार आंतरिक विषय विशेषज्ञ – सदस्य
(छत्तीसगढ़ एमीटी विश्वविद्यालय से
प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर
की श्रेणी के विशेषज्ञ)

ग. दो बाह्य विषय विषेषज्ञ – सदस्य
(अन्य विश्वविद्यालय से प्रोफेसर
की श्रेणी के विशेषज्ञ)

घ. संबंधित विषय में व्यापार/उद्योग
/आर एवं डी संगठन से दो विशेषज्ञ – सदस्य
(सदस्य, वरिष्ठ प्रबंध स्तर के होंगे)

(तीन) पदेन सदस्यों को छोड़कर, अध्ययन मण्डल के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(चार) अध्ययन मण्डल, शैक्षिणक कार्यक्रमों की संरचना के लिये जवाबदेह होगा एवं ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(2) योजना मण्डल

(एक) योजना मण्डल, विश्वविद्यालय का प्रमुख योजना निकाय होगा तथा निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे :–

क. प्रायोजित निकाय का नामिती, अध्यक्ष

ख. कुलपति

ग. प्रतिकुलपति

घ. कुलसचिव

ङ. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

च. अधिष्ठाता, विकास एवं योजना, सदस्य – सचिव

(दो) योजना मण्डल की निम्नलिखित शक्तियॉ एवं कर्तव्य होंगे :–

क. विश्वविद्यालय के विकास एवं उन्नयन के लिये संदर्श योजना तैयार करना ।

ख. विश्वविद्यालय के शिक्षा समर्थित सुविधाओं एवं अधोसंरचना का निर्धारण करते हुए यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय का उच्च शैक्षिक स्तर बनाये रख रहे है।

ग. सर्वोत्तम उपयोगिता के लिये स्त्रोत सृजित करने तथा गतिमान करने के लिये सुझाव देना ।

घ. ऐसे अन्य कृत्य का निष्पादन करना, जैसा कि प्रबंध मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(तीन) पदेन सदस्यों को छोड़कर, सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(चार) अध्यक्ष सहित विद्या परिषद के आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी, परन्तु यह कि गणपूर्ति, स्थगित बैठक के लिये आवश्यक नहीं होगी, सामान्यतः योजना मण्डल की सभी बैठकों के लिये स्पष्ट पन्द्रह दिवस

की सूचना दी जायेगी तथा कार्यसूची प्रत्रक, बैठक की तारीख के कम से कम सात दिवस पूर्व जारी किया जायेगा । आकस्मिक बैठक की सूचना, सामान्यतः तीन दिवस होगी ।

परिनियम क्र. 12
वित्त समिति की शक्तियॉ एवं कृत्य

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलपति– अध्यक्ष
(दो) प्रायोजित निकाय का नामिती– सदस्य
(तीन) प्रतिकुलपति– सदस्य
(चार) प्रबंध मण्डल द्वारा नामांकित दो सदस्य– सदस्य
(पांच) कुलसचिव – सदस्य
(छः) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी– सदस्य–सचिव

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर, वित्त समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। वित्त समिति, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। बैठक की सूचना, बैठक के कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व समिति के सदस्यों को दी जायेगी तथा बैठक की कार्यसूची, बैठक के कम से कम 7 दिवस पूर्व सदस्यों को भेजी जायेगी ।

(3) अध्यक्ष सहित चार सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी ।

(4) वित्त समिति के कृत्य एवं शक्तियॉ निम्नानुसार होगी :–

(एक) विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय के वार्षिक अनुमान पर विचार करना तथा अनुशंसा करना और इसके विचारण एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय को प्रस्तुत करना ।

(दो) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे पर विचार करना तथा उसके विचारण एवं अनुमोदन हेतु शासी निकाय को प्रस्तुत करना ।

(तीन) शासी निकाय को, विश्वविद्यालय की ओर से संपत्ति के वसीयत एवं दान स्वीकार करने की ऐसी अवधि के लिये अनुशंसा करना, जैसा कि वह उचित समझे ।

(चार) विश्वविद्यालय के लिये क्रियाविधि एवं साधन तथा स्त्रोत सृजित करने की अनुशंसा करना।

(पांच) शासी निकाय द्वारा उसको निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर विचार करना तथा उस पर अपनी अनुशंसा करना ।

(छः) वित्त प्रभावित विषयों पर विश्वविद्यालय को सलाह देना ।

(सात) यह अवलोकन करना कि विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय के लेखों के संधारण के संबंध में विनियमों का अनुपालन हो रहा है ।

(आठ) वित्त समिति के अन्य कृत्य एवं शक्तियॉ ऐसी होंगी, जैसा कि प्रबंध मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

परिनियम क्र. 13
प्रवेश समिति एवं उसकी शक्तियॉ एवं कृत्य तथा संकाय

(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी । कुलपति समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा ।

(2) प्रवेश समिति की विरचना एवं सदस्यों की पदावधि, शक्तियॉ एवं कृत्य, कुलपति द्वारा विनिश्चित की जायेगी ।

(3) प्रवेश समिति की शक्ति एवं कृत्य, प्रबंध मण्डल द्वारा विनिश्चित की जायेगी ।

(4) राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पी.एच.डी. एवं अन्य शोध पाठ्यक्रम में उपाधि के अवार्ड करने के लिये विश्वविद्यालय के निम्नलिखित संकाय होंगे ।

(एक) कला संकाय/स्कूल

(दो) विज्ञान संकाय/स्कूल

(तीन) वाणिज्य संकाय/स्कूल

(चार) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय/स्कूल

(पांच) व्यवसाय प्रबंधन संकाय/स्कूल

(छः) विधि संकाय/स्कूल

(सात) होटल प्रबंधन संकाय/स्कूल

(आठ) फैशन डिजाईनिंग संकाय/स्कूल

(नौ) वास्तुकला एवं योजना संकाय/स्कूल

(दस) मीडिया स्टडीज संकाय/स्कूल

(ग्यारह) म्युजिक एवं फाईन आर्ट संकाय/स्कूल

(बारह) शारिरिक शिक्षा संकाय/स्कूल

(तेरह) सूचना प्रौद्योगिकी संकाय/स्कूल

(5) प्रत्येक संकाय के ऐसे विभाग होंगे, जैसा कि आवश्यक समझा जाये एवं अध्यादेश में विहित अनुसार अनुमोदित एवं उसको सौंपे जाये ।

(6) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे अर्थात् :–

(एक) संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता/निदेशक, जो कि अध्यक्ष होगा।

(दो) संकाय/स्कूल के सभी प्रोफेसर।

(तीन) संकाय के प्रत्येक विभाग से वरिष्ठता अनुसार चक्रानुक्रम में, एक सह प्रोफेसर एवं एक सहायक प्रोफेसर ।

(चार) सदस्यों की पदावधि, तीन वर्ष होगी।

(7) संकाय/स्कूल की शक्तियॉ एवं कृत्य निम्नानुसार होगी :–

(एक) अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार की गई सिलेबस पर विचार करना तथा अनुमोदित करना।

(दो) संकाय/स्कूल के सदस्य के रूप में विख्यात शिक्षाविदों/उद्योगविदों/वैज्ञानिकों को सहयोजित करना ।

(तीन) विद्या परिषद को अध्ययन मण्डल एवं स्थायी समिति/अन्य शैक्षिक निकाय द्वारा बनाये गये प्रस्तावों की अनुशंसा करना ।

(चार) संकाय/स्कूल, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियम एवं अध्यादेश द्वारा समय समय पर समनुदेशित किया जाये ।

(पांच) संकाय/स्कूल, अपने संबंधित कार्य के संबंध में किसी प्रश्न पर अथवा विद्यापरिषद द्वारा निर्दिष्ट विषय पर, जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो, विचार करना तथा विद्यापरिषद को अनुशंसा करना ।

(8) कुलपति द्वारा समय समय पर यथा अभिहित प्रत्येक संकाय/स्कूल या शैक्षिक क्षेत्र समूह के लिये एक अधिष्ठाता/निदेशक होगा । संबंधित संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता, नियुक्ति के नवीनीकरण के अध्यधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलपति की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, परन्तु यह कि :

यदि प्रोफेसर न हो, तो सह प्रोफेसर को कुलपति द्वारा चयनित किया जायेगा, जो कुलाधिपति द्वारा पुष्टि करने के अध्ययधीन रहते हुए अधिष्ठाता के रूप में कार्य कर सकेगा ।

(एक) प्रत्येक संकाय का अधिष्ठाता/निदेशक, संकाय का अध्यक्ष होगा तथा संकाय/स्कूल से संबंधित परिनियम, अध्यादेश एवं नियमों के अनुपालन के लिये जवाबदेह होगा।

(दो) अधिष्ठाता/निदेशक, संस्थान/स्कूल के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तथा संस्थान के अध्यापन एवं शोध कार्य के संचालन के लिये जवाबदेह होगा ।

(तीन) संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता/निदेशक, ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि शासी निकाय/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे जाये ।

(चार) संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता/निदेशक, संकाय/स्कूल के शैक्षिक एवं वित्तीय प्रदर्शन के लिये जवाबदेह होगा तथा अंकेक्षण के निष्पादन के अध्ययधीन रहेगा ।

(पांच) प्रत्येक संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता/निदेशक, अपने नियंत्रण के अधीन संकाय/संकायों के लिये मासिक, सेमेस्टर या अवधिवार एवं वार्षिक गतिविधियों तथा वित्तीय बजट के लिये जवाबदेह होगा ।

(छः) प्रत्येक संकाय/स्कूल का अधिष्ठाता/निदेशक की प्रशासनिक, वित्तीय एवं शैक्षिक जवाबदेहिता होगी ।

(सात) अधिष्ठाता/निदेशक, नियुक्ति की अवधि के लिये विशेष वेतन प्राप्त कर सकेगा, जैसा कि शासी निकाय द्वारा विहित किया जाये ।

परिनियम क्र. 14

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति

(1) विश्वविद्यालय में शिक्षकीय प्रास्थिति अर्थात प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के लिये, विद्यापरिषद, समय समय पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/स्कूलों में उपलब्ध रिक्तियों को भरने के लिये प्रबंध मण्डल को अनुशंसा कर सकेगा ।

(2) प्रबंध मण्डल, विद्यापरिषद की अनुशंसाओं का निर्धारण करेगा तथा खुला विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकीय रिक्तियों को भरने हेतु अनुमोदन देगा ।

(3) प्रबंध मंडल के अनुमोदन के पश्चात, शिक्षकीय (प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर) के पदों को, व्यापक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानदण्डों के अनुसार, प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, प्रत्येक विज्ञापित पद के लिये आवश्यक अर्हता एवं वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, विज्ञापित की जायेगी ।

(4) तीन सदस्यीय छानबीन समिति, जो कि कुलपति द्वारा नियुक्त की जायेगी, सभी आवेदनों की छानबीन करेगी तथा आवश्यक अर्हता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों की सक्षेपिका तैयार करेगी तथा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगी ।

(5) सभी छानबीन की गई आवेदनों की संक्षेपिका, साक्षात्कार के समय चयन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(6) नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे –

(एक) कुलपति, अध्यक्ष

(दो) विशेषज्ञों के पैनल से कुलपति द्वारा नामांकित तीन विषय विशेषज्ञ

(तीन) कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित एक सदस्य

(चार) कुलसचिव, सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

(7) चार सदस्य, जिसमें से एक सदस्य विषय विशेषज्ञ होगा, से गणपूर्ति होगी ।

(8) चयन समिति, प्रबंध मण्डल को व्यक्ति, जिसे संकाय के प्रास्थिति के लिये उपयुक्त समझे जाये, के मेरिट, यदि कोई हो, के क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा ।

(9) चयन समिति द्वारा यथा अनुशंसित एवं प्रबंध मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित नियुक्तियों के अनुमोदन होने के पश्चात, एचआर हेड/कुलसचिव, चयनित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के लेटर हेड में अपने सील एवं हस्ताक्षर सहित नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।

(10) अभ्यर्थी के चयन के संबंध कोई विवाद अथवा चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा असहमति टीप प्राप्त होने की दशा में, मामले को, कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा ।

(11) नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलाधिपति/प्रबंध मण्डल शोध, शिक्षण एवं विस्तार में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय में विख्यात प्रोफेसर, सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विशिष्ट प्रोफेसर, अनुलग्न प्रोफेसर, सलाहकार/निदेशक/महानिदेशक के रूप में उत्कृष्ट शैक्षिक एवं शोध उपलब्धि से विख्यात व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा । इन प्रास्थितियों के लिये मानदेय भत्ते, निर्बंधन एवं शर्तें, कुलाधिपति द्वारा विनिश्चित की जायेगी । इनके लिये नियुक्ति पत्र, विश्वविद्यालय के एचआर हेड/कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के लेटर हेट में अपने सील एवं हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा ।

(12) पूर्णकालिक नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, सीधी भर्ती या आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियत पूर्णकालिक अवधि, संविदा तथा/या एसाईनमेंट आधारित प्रास्थिति को, संलग्न करने का विनिश्चिय कर सकेगा । ऐसे संलग्न व्यक्तियों के निर्बंधन एवं शर्तें (जैसे कि मानदेय, टी.ए./डी.ए., सुविधा प्रभार आदि), विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जायेगी तथा ऐसे एसाईनमेंट लेटर, एचआर हेड/कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के लेटर हेट में अपने सील एवं हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा ।

(13) नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवाद, रायपुर जिला न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता के अध्यधीन होगी ।

(14) शैक्षिक वर्ष के दौरान तत्काल आवश्यकता होने की दशा में, कुलसचिव, कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा अनुसमर्थन के अध्यधीन रहते हुए, रिक्तियों को भरने के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा ।

परिनियम क्र. 15

कर्मचारियों के निबंधन एवं शर्तें

(1) प्रबंध मंडल, कुलाधिपति के अनुमोदन से संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी नीतियों एवं निबंधन एवं शर्तों की विरचना करेगा ।

(2) एचआर हेड/कुलसचिव, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश विश्वविद्यालय के लेटर हेट में अपने सील एवं हस्ताक्षर से जारी करेगा ।

(3) कुलपति की अनुशंसा, शासी निकाय द्वारा यथा विरचित नीतियों एवं प्रक्रियों के अनुरूप सभी कर्मचारियों के निबंधन एवं शर्तों से संबंधित विषयों हेतु अपेक्षित है ।

परिनियम क्र. 16

समितियॉ

(1) शासी निकाय, प्रबंध मंडल, विद्यापरिषद, अन्य प्राधिकरण एवं संकाय/स्कूल, ऐसे कार्य के लिये उपयुक्त सदस्यों को मिलाकर समिति गठित करेंगे।

(2) ऐसी गठित समिति, कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन उसको सौंपे गये किसी विषय के साथ संव्यवहार करेगी ।

(3) समिति द्वारा लिया गया निर्णय, विचारण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति के समक्ष रखा जायेगा।

परिनियम क्र. 17

विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली शुल्क के संबंध में प्रावधान

(1) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिये ट्यूशन शुल्क प्रबंध मण्डल द्वारा विहित की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय समय समय पर ऐसे अन्य शुल्क जैसे कि प्रवेश शुल्क, हास्टल शुल्क, मेष शुल्क, सेवा के लिये उपयोग प्रभार जैसे लाउन्ड्रिग, मुद्रण आदि, विहित करेगा ।

(3) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के शुल्क के संबंध में, राज्य शासन द्वारा यथाविहित एवं विहित शुल्क में परिवर्तन के बाद भी, सी.जी.पी.यू.आर.सी./अन्य विनियामक निकाय/उच्च अधिकार समिति का अनुमोदन लेगा ।

परिनियम क्र. 18

दीक्षांत समारोह

(1) विश्वविद्यालय के उपाधि, पत्रोपाधि एवं अन्य सम्मानों के अवार्ड के लिये दीक्षांत समारोह सामान्यतः वार्षिक रूप से आयोजित की जायेगी ।

(2) प्रबंध मंडल, दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिये उपाधि एवं पत्रोपाधि, दस्तावेज, प्रमाण पत्र तथा उद्धरण एवं उसकी पुस्तिका, इन दस्तावेजो के अभाव में जारी करने, डुप्लीकेट उपाधि एवं प्रक्रिया के प्रारूप के संबंध में विनियम बनायेगा ।

परिनियम क्र. 19

मानद उपाधि एवं शैक्षिक सम्मान प्रदान किया जाना

(1) विशिष्ट व्यक्तियों को, मानद उपाधि या शैक्षिक सम्मान प्रदान करने का प्रस्ताव, विद्यापरिषद के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा ।

(2) विद्यापरिषद की अनुशंसा, शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) शासी निकाय के दो तिहाई सदस्य, मानद प्रेरक उपाधि या शैक्षिक सम्मान प्रदान करने का अनुमोदन करेंगे ।

परिनियम क्र. 20

गैर–शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित गैर–शिक्षकीय कर्मचारियों को नियोजित किया जायेगा :

(एक) नियमित कर्मचारी

(दो) संविदा कर्मचारी

(तीन) आकस्मिक कर्मचारी

(2) नियमित कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी, जो भर्ती की प्रकिया का अनुपालन करने के पश्चात् स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त हो।

(3) ऐसे कर्मचारी के लिये परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी जिसे, यदि आवश्यक हो, बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) संविदा कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी, जो विशेष अवधि के लिये संविदा पर नियुक्त हो ।

(5) आकस्मिक कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी, जो मस्टर रोल के आधार पर संलग्न हो ।

(6) उपरोक्त सभी तीनों संवर्गों के कर्मचारियों के निबंधन एवं सेवा शर्तें एवं सुलह प्रक्रिया, विश्वविद्यालय के विनियमों द्वारा समय समय पर विहित अनुसार होगी ।

परिनियम क्र. 21

विश्वविद्यालय में फेलाशीप, स्कालरशीप, मेडल एवं पुरस्कार प्रदान करने के लिये अक्षय निधी का प्रशासन

(1) प्रबंध मंडल, आवर्ती प्रकृति के फेलाशीप, स्कालरशीप, स्टायफण्ड, मेडल एवं पुरस्कार प्रदान करने के लिये अक्षय निधी के सृजन हेतु दान स्वीकार कर सकेगा । उसका एक खाता, विश्वविद्यालय द्वारा लिखित में संधारित किया जायेगा।

(2) प्रबंध मंडल, सभी अक्षय निधी का प्रशासक होगा ।

(3) अक्षय निधी से अर्जित वार्षिक आय में से अवार्ड दिया जायेगा।

(4) आय का कोई भाग, जो इस प्रकार उपयोजित न हो, अक्षय निधि में जोड़ा जायेगा ।

(5) प्रबंध मंडल, राष्ट्रीयकृत बैंक में संधारित खाते में अक्षय निधि जमा करने की शर्तें विहित करेगा।

(6) अवार्ड संस्थित करने के लिये आवश्यक अक्षय निधि का मूल्य, प्रबंध मंडल द्वारा विहित किया जायेगा ।

(7) अवार्ड के उल्लघंन में कोई अक्षय निधि स्वीकार नहीं की जायेगी तथा यथासंभव, यह दानदाता के इच्छा पर प्रभावी होगा ।

(8) यदि कोई अक्षय निधिं, प्रबंध मंडल द्वारा स्वीकार की जाती है तो मंडल, दानदाता के नाम, अक्षय निधी के नाम, आरंभिक मूल्य तथा अक्षय निधि का प्रयोजन आदि का विवरण देते हुए इसके लिये विनियम बनायेगा ।

(9) विशेष अक्षय निधी से संबंधित विशेष विनियम (मों) के अनुसार फेलोशीप, स्कालरशीप, मेडल एवं पुरस्कार लेने वाले का अनुमोदन, प्रबंध मंडल द्वारा दिया जायेगा।

परिनियम क्र. 22

विद्यार्थियों का प्रवेश

(1) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश, संबंधित पाठयकम/विषय के लिये बनाये गये अध्यादेश में विहित अनुसार शासित होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय, अपनी प्रवेश परीक्षा, यदि आवश्यक हो, आयोजित कर सकेगा अथवा विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय व्यवसायिक निकायों द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षा/टेस्ट के परिणामों की सूची का उपयोग कर सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय, मैरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा, यदि प्रवेश परीक्षा अपेक्षित (आवश्यक) न हो ।

(4) आवश्यकतानुसार, राज्य/केन्द्र के विभिन्न विनियामक निकायों के दिशा–निर्देश को ध्यान में रखा जायेगा ।

(5) सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान, प्रचलित शासकीय मानदण्डों एवं नियमों द्वारा शासित होंगे ।

परिनियम क्र. 23

विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में सीटों की संख्या

(1) सीटों की संख्या, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्या परिषद/शासी निकाय द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जा सकेगा ।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों को कम करने/बढ़ाने के संबध में विश्वविद्यालय के संवैधानिक निकाय की अनुशंसा, आवश्यकतानुसार, संबंधित विनियामक निकाय के अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।

परिनियम क्र. 24

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबंध मंडल द्वारा तैयार किया जायेगा ।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में दो भाग सम्मिलित होंगे –

(एक) गतिविधि प्रतिवेदन, जिसके लिये कुलपति जवाबदेह होगा ।

(दो) वित्तीय प्रतिवेदन, जिसके लिये कुलसचिव जवाबदेह होगा ।

(3) अंकेक्षित लेखे के साथ प्रतिवेदन को, शासी निकाय के अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।

(4) वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति कुलाध्यक्ष, विनियामक आयोग एवं राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की जायेगी ।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा उसकी सील एवं हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

परिनियम क्र. 25

विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य स्टाप के विरूद्ध कार्यवाही

(1) जहाँ शिक्षकों के विरूद्ध कदाचरण का आरोप हो, वहाँ कुलपति, मानद समिति गठित करेगा तथा समिति के निष्कर्ष के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो बाद में इस प्रयोजन के लिये जॉच समिति गठित कर सकेगा ।

(2) सभी विद्यार्थी, स्टाप (शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय), प्रबंधन एवं प्रशासकीय स्टाप सहित कुलपति की श्रेणी से निम्न के सभी अधिकारियों का आचरण सम्मानिक, न्यस्त एवं पारस्परिक होगा ।

(3) यदि कोई सदस्य, सभी स्टाक होल्डर द्वारा विहित मानक के अनुरूप आचरण न होने का दोषी हों, तो मानद समिति, शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाप के बीच से रेंडम चयन द्वारा विरचना करेगा । मानद समिति में 5 सदस्य होंगे । कदाचरण के अभियोक्ता एवं अभियुक्त सदस्य, मानद समिति के समक्ष उपस्थित होगा । मानद समिति, समिति के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदनों एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेगी कि कदाचरण एक संयोग है या नहीं।

(4) मानद समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कुलपति कदाचरण की गंभीरता के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय कर सकेगा ।

(5) कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विरूद्ध अपील, कुलाधिपति को, की गई कार्यवाही की संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर, किया जा सकेगा।

(6) ऐसे मामले में सभी विवाद, विधिक विषय, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता के अध्यधीन होंगे ।

एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

प्रथम अध्यादेश

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये कुलपति, निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश बनाते है :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

एक. ये अध्यादेश एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ प्रथम अध्यादेश कहलायेंगे ।

दो. ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा परिभाषा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

एक. ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 तथा पश्चात्‌वर्ती संशोधन ।

दो. ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 के अधीन स्थापित एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।

तीन. ''सी.जी.पी.यू.आर.सी'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ।

चार. ''अध्यादेश'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के अधीन विरचित एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम अध्यादेश ।

पांच. ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी जिसमें शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद और/या शासी निकाय द्वारा सम्यक रूप से गठित कोई अन्य प्राधिकरण ।

छः ''मुद्रा'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा ।

सात. ''प्रवेश नीति'' से अभिप्रेत है प्रवेश नीति तथा चयन प्रकिया, जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश/परिनियम में अधिसूचित हो ।

आठ. ''परिनियम'' ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन बनाये गये, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के कमशः परिनियम, अध्यादेश, तथा विनियम ।

नौ. ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ।

दस. "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित पाठ्यक्रमों की योजना और पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समर्पित बारह माह की कालावधि तथा अध्यादेश में नियत यथा लागू "सेमेस्टर" या वार्षिक अवधि में विभाजित कालावधि ।

ग्यारह. "कार्यक्रमों" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या कोई अन्य पदवी या उपाधि अवार्ड करने या प्रदान करने हेतु अग्रसरित अध्ययन के विहित क्षेत्र या पाठ्यक्रम तथा/या कोई अन्य घटक ।

बारह. "आवेदन करने" से अभिप्रेत है आवेदक द्वारा विहित प्रारूप पर समस्त आवश्यक दस्तावेजों तथा प्रक्रिया शुल्क के साथ व्यक्तिगत या सम्यक रूप से प्राप्त पंजीकृत डाक द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन जमा करना ।

तेरह. "विषय" से अभिप्रेत है शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, शोध आदि के पाठ्यक्रम की बुनियादी इकाई, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसा कि योजना और पाठ्यचर्या के अधीन विहित हो ।

चौदह. "विश्वविद्यालय द्वारा निर्णीत/विश्वविद्यालय निर्णय कर सकेगा/विश्वविद्यालय का निर्णय" से अभिप्रेत है कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा यथा निर्णीत ।

पंद्रह. "विश्वविद्यालय द्वारा "अनुमोदित" से अभिप्रेत है अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ।

सोलह. "नियम" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियम ।

सत्रह. "शुल्क" से अभिप्रेत है विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा की गई संग्रहण चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो तथा जो वापसी योग्य न हो ।

अठारह. "ए.आई.सी.टी.ई" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987(केन्द्रीय अधिनियम 1987 का 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ।

उन्नीस. "प्रवेश समिति" से अभिप्रेत है प्रवेश प्रकिया संचालित करने तथा प्रवेश नीति में उपबंधित अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सम्यक रूप से गठित प्रवेश समिति ।

बीस. "योजना एवं पाठ्यचर्या" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों के स्वरूप, कालावधि, शिक्षा, पद्धति, पाठ्यक्रम, अर्हता तथा अन्य ऐसी संबंधित विवरण चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो ।

इक्कीस. "स्कूल" से अभिप्रेत है विशिष्ट क्षेत्र में अधिगम हेतु विश्वविद्यालय का प्रभाग ।

बाईस. "आवेदक" से अभिप्रेत है कोई अभ्यर्थी, जो विष्वविद्यालय में प्रवेश चाहता है।

तेईस. "संकाय" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय द्वारा यथा अनुमोदित अभियांत्रिकी / प्रबंधन / विधि / वास्तुकला आदि की कोई शाखा / संकाय, जैसा कि प्रवेश नीति में दिया गया है ।

चौबीस. "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की देखरेख में विद्यार्थियों के लिये निवास का स्थान। यह सुविधा वैकल्पिक है तथा विद्यार्थियों को बाहर रहने की भी अनुमति होगी ।

पच्चीस. "विहित" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित ।

छब्बीस. "विनियामक निकाय" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु मानदण्डों और शर्तों को अधिवर्णित करने हेतु स्थापित निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, वास्तुकला परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि और इसमें राज्य शासन सम्मिलित है ।

सत्ताइस. "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।

अट्ठाइस. "शासी निकाय" से अभिप्रेत है अधिनियम के अनुसार गठित विश्वविद्यालय का शासी निकाय ।

उनतीस. "विद्या परिषद" से अभिप्रेत है अधिनियम के अनुसार गठित विश्वविद्यालय का विद्या परिषद ।

तीस. "प्रबंध मण्डल" (बी.ओ.एम.) से अभिप्रेत है अधिनियम के अनुसार गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध मण्डल ।

इकतीस. "परीक्षा का शेड्यूल" से अभिप्रेत है कोई सारणी जिसमें प्रत्येक पेपर के प्रारंभ होने के समय, दिन तथा दिनांक के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जो कि परीक्षा योजना का एक हिस्सा है तथा इसमें प्रायोगिक परीक्षा के बारे में विवरण भी सम्मिलित होगा।

बत्तीस. "विभाग" से अभिप्रेत है किसी स्कूल की कोई ईकाई।

तैंतीस. "एच.ओ.डी." से अभिप्रेत है संबंधित विभाग का प्रमुख।

चौंतीस. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम के अधीन तथा आयकर अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित गैर निवासी भारतीय।

पैंतीस. "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है कोई भी विशिष्ट कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।

छत्तीस. ''एमकैट'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित एमिटी सामान्य प्रवेश परीक्षा।

(क) अध्यादेश, राज्य शासन द्वारा इसके अनुमोदन और/या अधिनियम के अनुसार राज्य के राजपत्र में इसके अधिसूचना, हो भी पहले हो, की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(ख) अध्यादेश, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 समय–समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

(ग) ये नियम, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित संकायों, स्कूलों, संस्थाओं, महाविद्यालयों, केन्द्रों तथा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित समस्त कार्यक्रमों और उससे संबंधित तथा उसके आनुषांगिक किसी भी विषय पर लागू होंगे।

(घ) इन नियमों के उपबंध, विश्वविद्यालय के सभी आदेशों, संहिताओं, मैन्यूअलों, परिपत्रों, प्रक्रियाओं, नीतियों, योजनाओं तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों पर अभिभावी होंगे जो पूर्व में बनाये गये है।

(ड.) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी शब्द का संक्षिप्त नाम या छोटा रूप, शब्द के वास्तविक अर्थ का ऐसा प्रतिनिधित्व करेगा तथा तात्पर्यित होगा जैसा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों, आदेशों, संहिताओं, मैन्यूअलों, परिपत्रों, मेमोस, प्रक्रियाओं नीतियों, योजनाओं तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो, यथास्थिति समय–समय पर बनाये गये हो, में परिभाषित है।

(च) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है और इस अध्यादेशों में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

प्रथम अध्यादेश निम्नलिखित विषयों पर होगी:

एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

अध्यादेश क्र. 01

विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन

1. प्रयोज्यता

यह अध्यादेश, पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र को अग्रसरित करने वाले समस्त कार्यक्रमों पर लागू होंगे । किसी विशिष्ट कार्यक्रम/पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित विशिष्ट बिन्दुओं का संबंधित अध्यादेश में उल्लेख होगा ।

2. परिभाषाएं

(एक) ''अर्हकारी परीक्षा'' से अभिप्रेत है ऐसी परीक्षा, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक या स्नातकोत्तर या एम.फिल. या डॉक्टरेट उपाधि या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हेतु अग्रसरित अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है।

(दो) **''समकक्ष परीक्षा''** से अभिप्रेत है निम्नलिखित द्वारा आयोजित परीक्षाः—

(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल का कोई मान्यता प्राप्त, या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय, जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो,

(ग) यू.जी.सी और/या संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन, जैसी भी स्थिति हो तथा विष्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो।

(तीन) ''एमिटी सामान्य प्रवेश परीक्षा'' इसमें इसके पश्चात् 'एमकेट' के रूप में निर्दिष्ट है, से अभिप्रेत है, अभ्यर्थी, जो ऐसा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, जिसको इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त योग्य स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/एम.फिल. डिग्री/पी.एच.डी. /डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के अवार्ड हेतु अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम के विशिष्ट वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है। इसमें लिखित परीक्षा, भाषा परीक्षा, समूह चर्चा (जीडी), व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) आदि सम्मिलित हो सकेंगे ।

(चार) **"अंतराल कालावधि"** से अभिप्रेत है नियमित विद्यार्थी के रूप में **शैक्षणिक संस्थान** (कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर) में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की कालावधि।

3. प्रवेश हेतु पात्रता

(एक) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई अभ्यर्थी तब तक पात्र नही होगा जब तक अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल से वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाणपत्र परीक्षा, विष्वविद्यालय द्वारा यथा नियत न्यूनतम अंक के साथ उत्तीर्ण न किया हो।

(दो) किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्व स्नातक डिग्री परीक्षा या विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर समकक्ष डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा, विश्वविद्यालय द्वारा यथा नियत न्यूनतम अंक के साथ उत्तीर्ण न किया हो और ऐसी अतिरिक्त योग्यता धारण नहीं करता/करती हो, जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

(तीन) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विद्या परिषद् एवं समय–समय पर विवरणिका में इसके लिये प्रकाशित विहित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

(चार) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण, यदि एवं जहां आवश्यक हो, विभिन्न संवैधानिक निकायों, जैसा कि अपेक्षित हो, से अनुमोदन एवं पर्याप्त भौतिक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(पांच) प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों के निष्चित अनुपात में मेरिट के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु प्रवेश हेतु उन्हें, पात्रता मानदण्ड को पूर्ण करना होगा । ऐसे सीटों की संख्या, राज्य शासन के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार शासी निकाय द्वारा नियत किये जायेंगे । आवंटित राज्य कोटा की सीटें, रिक्त रहने की स्थिति में, उसे मुक्त श्रेणी की सीट में परिवर्तित की जा सकेगी ।

(छः) छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों को भरे जाने हेतु, राज्य शासन की आरक्षण नीति लागू होंगी । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये पाठ्यक्रम की पात्रता मापदण्ड में छूट, छत्तीसगढ़ शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, शासी निकाय द्वारा दी जा सकेगी ।

(सात) आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित सीटों को मुक्त सीट में परिवर्तित की जा सकेगी, यदि प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची के पश्चात् भी वे खाली रहें ।

4. प्रवेश हेतु प्रावधान

(एक) विश्वविद्यालय के पास किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(दो) प्रवेश प्रकिया, राज्य शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।

(तीन) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शासी निकाय द्वारा बनायी गयी प्रवेश नीति के आधार पर दी जायेगी ।

(चार) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में मेरिट के आधार पर प्रवेश का प्रस्ताव दिया जायेगा ।

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश को सुगम बनाने के लिये विष्वविद्यालय का प्रवेश सेल उत्तरदायी होगा ।

(छः) सम्यक रूप से भरे गये प्रवेश आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के साथ एमकैट की तारीख, विष्वविद्यालय के वेबसाइट पर घोषित/जारी की जायेगी ।

(सात) आवेदन करने का इच्छुक कोई अभ्यर्थी :

(क) विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करेगा तथा उसे ''कुलसचिव, एमिटी विश्वविद्यालय'' के पक्ष में विहित शुल्क आहरण हेतु डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा कर सकेगा ।

(ख) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र खरीद सकेगा ।

(ग) अधिसूचित बैंकों की शाखाओं से आवेदन प्रपत्र खरीद सकेगा ।

(घ) विष्वविद्यालय के प्रवेश सेल से नगद भुगतान करने पर व्यक्तिगत रूप से, खरीद सकेगा ।

(आठ) कोई अभ्यर्थी, जो स्कूल या विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में प्रवेश के लिये पात्रता मानदण्ड को पूरा करता हो, सम्यक रूप से भरे गये प्रवेश आवेदन प्रपत्र, इस हेतु विहित अंतिम तिथि पर या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा ।

(नौ) विश्वविद्यालय में प्रवेश का इच्छुक भारत या बाहर का कोई विद्यार्थी, व्यक्तिगत रूप से प्रवेश सेल से, ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से, संपर्क कर सकेगा ।

(दस) गैर–निवासी भारतीय अभ्यर्थी भी, एमिटी विष्वविद्यालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हें पात्रता मानदण्ड को पूरा करना होगा ।

(ग्यारह) जांच के पश्चात्, यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा विहित पात्रता मानदण्ड की पूर्ति करता है तो उसे एमकैट हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाया जायेगा ।

(बारह) विश्वविद्यालय, कार्यक्रम, जिसके लिये एमकैट आयोजित की जाती है, पर आधारित उसके द्वारा तय मानदण्डों द्वारा यथा विहित प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(तेरह) विश्वविद्यालय समस्त कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित प्रवेश प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा :

(क) विश्वविद्यालय, प्रत्येक नये शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर तथा अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा ।

(ख) प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को, प्रवेश कक्ष द्वारा सीधे सूचित किया जायेगा । समस्त सफल या असफल अभ्यार्थियों के व्यक्ति माइक्रोसाइट पर प्रवेश परीक्षा के परिणामों को अपलोड भी किया जायेगा ।

(ग) अभ्यर्थी, जिसका अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षाधीन है वे भी आवेदन कर सकेंगे तथा उन्हें पात्रता मापदण्ड के अनुरूपता के अध्यधीन प्रवेश दिया जायेगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को, प्रवेश के समय पूर्व वर्षों की अंकसूची/पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, अपेक्षित पात्रता मानदण्ड के प्रमाण के रूप में विद्यालय/महाविद्यालय का प्रमाण पत्र, आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा । अंकसूची और अर्हकारी परीक्षा का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत करेगा । असफल होने पर, प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा ।

(घ) यदि उपरोक्त पैरा (ग) के अधीन प्रवेशित अभ्यर्थी, कार्यक्रम के पात्रता मानदण्डों को पूर्ण करने हेतु अंक अर्जित करने में असफल रहता है तो उसे दी गई प्रवेश, उसका अस्थायी प्रवेश रद्द कर दी जायेगी ।

(ड.) प्रवेश आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर निरस्त किया जा सकेगा :

एक. विशिष्ट कार्यक्रम, जिसके लिये वह आवेदन किया है, के पात्रता मानदण्ड को पूर्ण करने में असफल रहता है।

दो. किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से अनुशासनहीनता के आधारों पर अभ्यर्थी को वंचित किया गया हो ।

तीन. प्रवेश आवेदन पत्र विहित शुल्क या डिमांड ड्राफ्ट, या ट्रांजेक्शन आई. डी. एवं पावती नंबर (ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की स्थिति में) के साथ नहीं होने पर ।

चार. प्रवेश आवेदन पत्र अच्छी तरह से नहीं भरा गया है या अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर नही किया गया हो ।

पांच. समर्थित दस्तावेज (जैसा कि लागू हो) संलग्न नही किये जाने पर ।

छः यदि विधि के न्यायालय में उसके विरूद्ध आपराधिक कानून का मुकदमा लंबित हो ।

(च) अभ्यर्थी, अपने प्रवेश आवेदन पत्र पर उपलब्ध प्रवेश आवेदन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपने माइक्रोसाइट से एमकैट हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगाा ।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्मित प्रवेश नियम, समय समय पर समस्त प्रवेश हेतु लागू होंगे तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम होगा ।

(ज) प्रत्येक कार्यक्रम के लिये शुल्क, प्रदान किये गये शिक्षा के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी, तथा आस्तियों के संधारण एवं आगे के विस्तार करने हेतु समर्थ होने के लिए युक्तियुक्त सरप्लस भी देंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी ।

(चौदह) प्रवेश हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे– (एक) नियमित विद्यार्थी के रूप में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति का संस्था प्रमुख द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। (दो) मूल प्रति जिसे सत्यापन के पश्चात् लौटा दिया जायेगा, के साथ अंकसूची की प्रमाणित/ स्व प्रमाणित छायाप्रति जिसके आधार पर अभ्यर्थी, विशिष्ट पाठयक्रम में प्रवेश ष्लेने हेतु इच्छुक है। स्वाध्यायी अभ्यर्थी के रूप में अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी, राजपत्रित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसका चरित्र अच्छा है, अपेक्षित होगा। यदि अभ्यर्थी, अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भिन्न मण्डल से या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, तो अभ्यर्थी, विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित आव्रजन फीस के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पात्रता एवं आव्रजन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में कोई कूटरचित, छेड़छाड़ या असत्य पाया जाता है, तो विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

(पंद्रह) प्रवेश हेतु आवेदन भेजने की रीति, सीधे/काउंसिलिंग के माध्यम से/मार्गदर्शक केन्द्र के माध्यम से/ डाक के माध्यम से/ ऑनलाईन के माध्यम से हो सकेगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक भारत या विदेश का कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है।

(सोलह) प्रवेश समिति आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार अनंतिम प्रवेश दिया जायेगा । प्रवेश सूची को विश्वविद्यालय के वेब–साईट में तथा सूचनापटल पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

(सत्रह) प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी और उसका/उसकी माता–पिता या विधिक पालक से, इस आशय का घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना अपेक्षित होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक और धन संबंधी अधिकारिता के अधीन विद्यार्थी स्वयं को रखेगा।

(अट्ठारह) कोई विद्यार्थी, जिसने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता देने वाली निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है को, विद्या परिषद् द्वारा इसकी समतुल्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

(उन्नीस) विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ होने या प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व, पूर्ण कर ली जायेगी ।

(बीस) परंतु जहां प्रवेश के अंतिम तिथि के रूप में विद्या परिषद के द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि मे या निर्धारित तिथि में अवकाश का दिन होता है तो अगला कार्य दिवस, प्रवेश की अंतिम तिथि के रूप में माना जायेगा।

(इक्कीस) अधिकतम अवधि, जिसके लिए विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर/एम फिल./पी.एच.डी./में प्रवेश के इच्छुक कोई विद्यार्थी नामांकित है, जिसमें विद्यार्थी से कार्यक्रम को पूर्ण करना अपेक्षित होगा या नामांकन समपहरित होगा, विष्वविद्यालय के शैक्षणिक विनियमन में यथा परिभाषित अनुसार सीमित होगी ।

(बाईस) किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश मेरिट के आधार पर उस विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहा गया है, में रिक्त सीटों की उपलब्धता के अध्याधीन होगा।

(तेईस) किसी अभ्यर्थी, जिसका किसी पाठ्यक्रम में गलत ढंग से प्रवेश हो चुका हो तो, विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में उसके अधिकार का समपहरण कर लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(चौबीस) कोई अभ्यर्थी, जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्कासित या परीक्षा में उपस्थित होने के आयोग्य ठहराया जा चुका हो, निष्कासन या अयोग्यता की अवधि के दौरान इस विश्वविद्यायल में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(पच्चीस) विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थी को, किसी पाठयक्रम के किसी पश्चातवर्ती उच्च कक्षा में तब तक उन्नयन नहीं किया जायेगाा जब तक कि वह इस संबंध मे विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमें के अनुसार उन्नयन के मापदण्ड को पूरा नही करता हो।

(छब्बीस) कोई विद्यार्थी, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित है, उसे संस्थान के किसी पाठयक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह शासी निकाय द्वारा नियत न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण न किया गया हो।

(सत्ताईस) उपर्युक्त उप–खण्ड छब्बीस में अंतर्विष्ट प्रावधानों से प्रतिकूलता के बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित विद्यार्थी का, विश्वविद्यालय के किसी पाठयक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय के कुलसचिव की पूर्वानुमति के बिना, नहीं दिया जायेगा।

(अट्ठाईस) विद्यार्थी, जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो, विश्वविद्यालय के किसी पाठयक्रम में ऐसी परीक्षा के लिए आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उच्च कक्षा के पात्रता शर्तों को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात ही, दिया जायेगा।

5. विद्यार्थियों का नामांकन

(एक) स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेषक, प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात विहित अवधि में विहित प्ररूप में, प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, समस्त सुसंगत मूल दस्तावेजों एवं नामांकन फीस के साथ, जैसा कि विद्या परिषद समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा। इसे वेब–साइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(दो) प्रवेश के समय विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और आव्रजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।

(तीन) नामांकित विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय छोड़ते समय विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नयी स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(चार) किसी व्यक्ति को, विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सम्यक रूप से नामांकित नहीं हुआ हो।

(पांच) यदि कोई विद्यार्थी, आव्रजन प्रमाण पत्र अन्य विष्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लेता है तो विश्वविद्यालय से उसका/उसकी नामांकन, ऐसे समय तक समाप्त रहेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के कुछ अन्य परीक्षा को लेने हेतु उस विश्वविद्यालय से आव्रजन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही होता/होती है । ऐसे मामलों में नये नामांकन एवं नामांकन शुल्क अनिवार्य होगा ।

(छः) कुलसचिव, विश्वविद्यालय में शोध कार्य या विभिन्न संकायों या संस्थानों में अध्ययनरत सभी नामांकित छात्रों या शोध कार्य कर रहे सभी विद्यार्थियों की एक पंजी संधारित करेगा ।

6. प्रवेश समिति.—

(एक) विद्या परिषद प्रवेश को विनियमित करने हेतु प्रत्येक संकाय/अध्ययन शाला / केन्द्र में केन्द्र में एक प्रवेश समिति का गठन कर सकेगा ।

(दो) समितिः

(क) विद्या परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित प्रवेश की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्रों का परीक्षण करेगी;

(ख) प्रवेश परीक्षा (ओं) और/या साक्षात्कार या विद्या परिषद द्वारा अन्यथा उपबंधित अनुसार संचालन करेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश की शर्तो पर आधारित मेरिट सूची तैयार करेगा ।

7. **अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश**

(एक) विद्या परिषद अंतर्राष्ट्रीय विद्याार्थियों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन को संपादित करने हेतु एक 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल' स्थापित किया जायेगा। यह सेल न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा अपितु प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग भी उपलब्ध करायेगी।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी:— 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

क. विदेशी विद्यार्थी — विदेशी मुल्कों द्वारा जारी पासपोर्ट धारण करने वाले विद्यार्थी, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने विदेशी मुल्कों की राष्ट्रीयता अर्जित की है, विदेशी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे।

ख. अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) — केवल वे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने विदेशी मुल्कों में विद्यालयों या महाविद्यालयों से अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। इसमें विदेशी मुल्कों में स्थित विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे यदि वह भारत में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो किन्तु इन विद्यालयों या महाविद्यालयों (भारत में अवस्थित) और विदेशी मूल्कों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालयों से संबद्ध में अध्यनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। भारत में बाह्य विद्यार्थी एवं अप्रवासी भारतीय के रूप में आश्रित हैं, विदेशी मुल्कों में अवस्थित मण्डलों या विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे। देश में प्रवेश पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रवेश स्तरीय प्रास्थिति को अनुरक्षित रखा जायेगा।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अपेक्षित दस्तावेज–

क. **वीजाः–** समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम को ग्रहण करने हेतु इस संस्थान को पृष्ठांकित करते हुए विद्यार्थी वीसा आवश्यक होगा, अन्य को पृष्ठांकित स्वीकार्य नही होगा। विद्यार्थी जो शोध कार्यक्रम को ग्रहण करने का इच्छुक है, इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा अपेक्षित होगा। यह वीसा, पाठ्यक्रम हेतु विहित कालावधि के लिए वैध होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीसा अपेक्षित नहीं है। विद्यार्थी जो किसी अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, अल्पकालिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने हेतु पृथक वीसा की आवश्यकता नहीं होगी परंतु यह कि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण कालावधि हेतु उनका वर्तमान वीसा वेध है।

ख. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र–** समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो किसी शोध कार्य करने का इच्छुक हो या पी.एच.डी. या एम.फिल. कार्यक्रम ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसे गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा परिशोधन और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा यह इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा होना चाहिए।

(चार) अर्हकारी योग्यताएंः–

क. केवल उन विद्यार्थियों को जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के मण्डलों से अर्हित हैं, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक हो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसकी समकक्षता की जांच करेगी।

ख. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनिमयों के अनुसार होगी ।

(पांच) **भारत सरकार के स्कालर–** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद् (आई.सी.सी.आर.), नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को प्रवेश देते समय और होस्टल की सुविधा हेतु विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न विदेशी सरकारों से

प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध हेतु उसी तरह से प्राथमिकता दी जायेगी।

(छः) **अनुशासन–** अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्थान के नियमों से बाध्य होंगे तथा भारतीय विद्यार्थी को यथा लागू आचार संहिता, समान रूप से बाध्य होंगे।

(सात) शिक्षण का माध्यम – विश्वविद्यायल में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी होगी ।

अध्यादेश क. 02

अध्ययन के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

1. प्रयोज्यता

डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठयक्रम के अधीन अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रत्येक अध्ययन के स्कूल में प्रयोज्य होंगे। अध्ययन के डिग्री पाठयक्रमों की सूची निम्नलिखित है जो अध्ययन के संबंधित स्कूल द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

2 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. एम.टेक (पूर्णकालिक) – 2 वर्ष

दो. एम.टेक (अंषकालिक) – 3 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. बी.टेक (पूर्णकालिक) – 4 वर्ष

दो. बी.टेक (अंषकालिक) – 5 वर्ष

3 फैषन प्रौद्योगिकी का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. डिजाइन में स्नातकोत्तर (एम.डिजा) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. डिजाइन में स्नातक (बी.डिजा.) – 4 वर्ष

4 व्यवसाय प्रबंधन का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) – 2 वर्ष

दो. सत्कार एवं पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमएचटीएम) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक आनर्स (बीबीए आनर्स) – 3 वर्ष

दो. सत्कार एवं पर्यटन प्रबंधन में स्नातक (एमएचटीएम) – 3 वर्ष

5 वाणिज्य का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. वाणिज्य में स्नातक आनर्स (बी.कॉम आनर्स) – 3 वर्ष

6 सूचना प्रौद्योगिकी का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. कम्प्यूटर एप्लीकेषन में स्नातकोत्तर (एमसीए) – 3 वर्ष

7 विज्ञान का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. मास्टर आफ फिलॉसफी (एम.फिल) – 1 वर्ष

दो. विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. विज्ञान में स्नातक (बी.एससी) – 3 वर्ष

दो. विज्ञान में स्नातक आनर्स (बी.एससी आनर्स) – 3 वर्ष

8 कला का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. कला में स्नातकोत्तर (एम.ए) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. कला में स्नातक आनर्स (बी.ए आनर्स) – 3 वर्ष

9 मिडिया अध्ययन का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. पत्रकारिता एवं जनसंचार में कला में स्नातकोत्तर (एम.ए) – 2 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. पत्रकारिता एवं जनसंचार में कला में स्नातक (बी.ए) – 3 वर्ष

10 वास्तुकला एवं योजना का संकाय/स्कूलः

(1) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. वास्तुकला में स्नातकोत्तर (एम.आर्क) – 2 वर्ष

(2) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. वास्तुकला में स्नातक (बी.आर्क) – 5 वर्ष

दो. इंटिरियर डिजाइनिंग में स्नातक (बी.आईडी) – 4 वर्ष

11 विधि का संकाय/स्कूलः

(1) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी)

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम

एक. मास्टर आफ फिलॉसफी (एम.फिल) – 1 वर्ष

दो. एलएलएम – 1 वर्ष

(3) पूर्व स्नातक पाठयक्रम

एक. बीए.एलएलबी (आनर्स) – 5 वर्ष

दो. बीबीए.एलएलबी (आनर्स) – 5 वर्ष

तीन. बी.कॉम.एलएलबी (आनर्स) – 5 वर्ष

चार. बी.टेक.एलएलबी (आनर्स) – 6 वर्ष

पांच. एलएलबी – 3 वर्ष

12. गैर–डिग्री पाठयक्रम

विश्वविद्यालय, विद्या परिषद तथा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से ऐसे गैर–डिग्री पाठयक्रम का प्रस्ताव देगा, जैसा कि समय समय पर विनिश्चित किये जायें। पाठयक्रम उद्देश्यों एवं अन्य अपेक्षित परिणामो, प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड, शिक्षण योजना, मूल्यांकन एवं परीक्षा, उत्तीर्ण करने की शर्तें, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में उन्नयन, डिविजन का अवार्ड आदि दर्शित करते हुए, प्रत्येक पाठयक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक अध्यादेश विरचित किया जायेगा।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 03
प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक) चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

(1) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (संक्षेप में, 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, चार वर्ष की कालावधि का होगा तथा संबंधित शाखा में, प्रौद्योगिकी में स्नातक (बी.टेक) के रूप में अभिहित होगा।

(2) बी.टेक की डिग्री, पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न शाखाओं के लिये प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड एवं क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) बी.टेक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मण्डल/विश्वविद्यालय से एक से अधिक विषय अर्थात् रसायन शास्त्र/जैव प्रौद्योगिकी/जीव विज्ञान/तकनीकी व्यवसायिक विषय के साथ भौतिक शास्त्र और गणित अनिवार्य विषय सहित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2 परीक्षा), इस संबंध में प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा।

(2) अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी से संबंधित शाखा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, संबंधित शाखा में, बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु भी पात्र होंगे।

(3) अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी के समुचित शाखा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, तृतीय सेमेस्टर (4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों से, पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश के पूर्व, नियामक आयोग द्वारा यथा विहित, प्रथम वर्ष के विषयों को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। यह यूजीसी द्वारा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा।

(4) अभ्यर्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र/सांख्यिकी/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साइंस में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) (3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण हो, तृतीय सेमेस्टर (4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु भी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों से पांचवें सेमेस्टर में प्रवेश के पूर्व, नियामक आयोग द्वारा यथाविहित, प्रथम वर्ष के विषयों को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। यह यूजीसी द्वारा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा।

(5) सभी बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रस्ताव, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में अथवा विद्या परिषद् द्वारा विहित अनुसार, प्रथम वर्षीय स्तर में दिया जायेगा। प्रवेश नीति, विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण किया जायेगा।

(6) अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) तथा विदेशी नागरिक भी बी. टेक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि उनके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा कोई अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका हो। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश, एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा।

(7) विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण के आधार पर किसी विद्यार्थी को बी. टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, कार्यक्रम के संबंध में शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी स्तर में किया जा सकेगा। परंतु इस योजना के अधीन, प्रथम वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(8) विश्वविद्यालय, किसी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है तथा असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर उसका/उसकी कैरियर के किसी प्रक्रम में उसका/उसकी अध्ययन को समाप्त करने के लिये उसे पूछ सकता है।

(9) अध्यादेश तथा प्रवेश नीति, पात्रताएं एवं चयन प्रकिया, जैसा कि ऊपर दिया गया हैं, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण और संशोधन किया जा सकता है।

(10) अजा/अजजा/अपिव/निःषक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च षिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिषा–निर्देषों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्षों की है जो आठ समान सेमेस्टरों में विभाजित होगी।

(2) विश्वविद्यालय, इच्छुक अभ्यर्थियों को आठवें सेमेस्टर परीक्षा के अंत में कैपस्टोन सेमेस्टर का प्रस्ताव दे सकेगा। यह, आठ सप्ताह की अवधि तक का होगा। इस सेमेस्टर के लिये पृथक शुल्क प्रभारित की जायेगी जिसे प्रबंध मंडल द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(4) किसी विद्यार्थी को बी.टेक पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि सात वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. परीक्षा

(1) विश्वविद्यालय, प्रत्येक पाठ्यक्रम इकाई में विद्यार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये (क) सतत् आंतरिक मूल्यांकन (ख) सेमेस्टरांत परीक्षा, जो सेमेस्टर के अंत में होगी, को अंगीकृत करेगा।

(2) सतत् आंतरिक मूल्यांकन के साथ–साथ सेमेस्टरांत परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना, विद्या परिषद द्वारा नियत की जायेगी।

(3) कोई भी विद्यार्थी, सेमेस्टरांत परीक्षा में स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक द्वारा, निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से उपस्थित होने से विवर्जित हो सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशंसा पर, यदि

(एक) व्याख्यान/टॅयूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा सेमेस्टर में, विद्या परिषद द्वारा यथा निर्धारित की जाये।

(दो) सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।

(4) विश्वविद्यालय, नियमित विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा, उन विद्यार्थियों को भी सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने हेतु भी समर्थ बनायेगा, जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या चूक कर गये है।

(5) शिक्षकगण, ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में चूक गये या अनुत्तीर्ण हो गये हो, के लिए स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ मेकअप परीक्षा आयोजित करेंगे।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी, किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णरूपेण उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे डिवीजन/अंक/ग्रेड में सुधार हेतु या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

(7) अध्यादेश एवं परीक्षा प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर दिया गया है, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जा सकेगा।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सतत् आंतरिक मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, मूल्यांकन योजना तथा विद्या परिषद द्वारा घोषित ग्रेडिंग के अनुसार होगा।

(ख) अवधिअंत परीक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थी का मूल्यांकन, प्रकरण परिचर्चा/प्रस्तुतिकरण/विश्लेषण, प्रायोगिक, सौंपे गये गृह कार्य, अवधि प्रश्नपत्र, परियोजना, क्षेत्र कार्य, सेमिनार, क्वीज, कक्षा परीक्षा या कोई अन्य माध्यम, जैसा कि पाठ्यक्रम में विहित किया जाये, के माध्यम से पाठ्यक्रम में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिये किया जायेगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम की बुनियादी संरचना, अध्ययन मण्डल द्वारा विहित एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित होगी।

(ग) प्रत्येक पाठ्यक्रम में उसके लिए समुनुदेशित केडिटों की संख्या, पाठ्यक्रम के शैक्षणिक अधिभार पर निर्भर होगी, जिसका मूल्यांकन व्याख्यान, ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कक्षायें, क्षेत्र अध्ययन तथा/या स्वाध्याय के साप्ताहिक संपर्क घंटों के आधार पर किया जायेगा। परियोजना तथा शोध प्रबंध के लिये केडिट, अपेक्षित कार्य की मात्रा पर निर्भर होगा।

(2) केडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक केडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक केडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार केडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में केडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित केडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(ग) कोई अभ्यर्थी, बी.टेक डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त केडिट को अर्जित करता है।

6. उपस्थिति

विद्यार्थियों से 100% उपस्थिति अपेक्षित है। बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों से, जो विद्यार्थी के नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख की लिखित अनुमति अनिवार्य है। किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी से, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक होने वाले व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, परंतु यह कि 05% तक की उपस्थिति में कमी को, कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

किसी विद्यार्थी को, कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के लिये उन्नयन किया जायेगा, यदि उसने विश्वविद्यालय के विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो।

8. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ–साथ क्रेडिट के अन्तर्गत इसका अधिभार, संबंधित अध्ययन मण्डल (बी.ओ.एस.) द्वारा अनुशंसित होगा तथा विद्या परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होगा।

(2) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को, एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को प्रदान की गई लेटर ग्रेड, आंतरिक सतत् मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(3) उपयोग की जाने वाली लेटर ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (ग्रेड प्वाइंट कहलायेंगे), इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार तथा समय–समय पर संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक के लिये तथा पाठ्यचर्या के प्रत्येक माड्यूल (मापांक) हेतु पृथक से लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

(5) किसी सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड बिन्दु औसत (एसजीपीए), सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एसजीपीए, विद्या परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार संगणित की जायेगी।

(6) संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए), डिग्री कार्यक्रम में उसका/उसकी प्रवेश हेतु, लिये गये समस्त पाठ्यक्रम हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए तथा सीजीपीए की गणना, पूर्णांकित किये बिना, दशमलव के दो स्थानों तक की जायेगी।

(8) किसी विशिष्ट विषय को उत्तीर्ण करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड तथा ग्रेड बिन्दु, उसके विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(9) विद्यार्थी, किसी विशिष्ट विषय के लिये आबंटित किये गये समस्त केडिटों को अर्जित करेगा, यदि वह, उस विषय को उत्तीर्ण करता/करती हो।

(10) डिग्री के अवार्ड हेतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए अर्जित किया जाना चाहिये।

(11) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पर, पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शित होगा। सीजीपीए को, समतुल्य प्रतिशत अंक में इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

9. अनुलिपी

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में, विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए तथा अंतिम सीजीपीए अंतर्विष्ट होंगे।

10. उपरोक्त के होते हुये भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.टेक डिग्री के लिये अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम, यूजीसी या एआईसीटीई के सुसंगत विनियमों तथा मानदंडों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप है।

11. अध्यादेश तथा परीक्षा, मूल्यांकन नीति एवं उच्च सेमेस्टर में उन्नयन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 04
प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर (एम.टेक.) दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, ऐसे अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने इस अध्यादेश के प्रावधानो के अनुसार, विहित कालावधि के भीतर पाठयक्रम कार्य एवं थीसीस कार्य पूर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) प्रवेश नीति, विष्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जायेगी । यूजीसी/एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी, जो अध्ययन के सुसंगत क्षेत्र में स्नातक डिग्री के अवार्ड के लिए अर्ह है तथा अधिमानतः जो शासी निकाय द्वारा समय समय पर न्यूनतम प्रतिशतता के साथ विधिमान्य जीएटीई (अभियांत्रिकी में स्नातक एप्टीटयूट परीक्षा) अंक अर्जित किया हो, एम.टेक में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(3) जीएटीई आवेदन के संबंध में उपरोक्त (2) में वर्णित के होते हुए भी, शासी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों तथा उचित माध्यम से प्राप्त विदेशी राष्ट्र से आवेदनों पर, जीएटीई में अर्हित बिना एम.टेक पाठयक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है । तथापि, उनका प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में विहित विनियमों द्वारा शासित होगा।

(4) एम.टेक में प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड, प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा समय समयय पर विनिश्चित तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अनुसार होगा।

(5) एम.टेक डिग्री का अवार्ड, विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अध्यादेश तथा प्रवेश नीति, पात्रता एवं चयन प्रकिया, जैसा कि उपर दिया गया है, विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

(7) अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) परियोजना कार्य सहित एम.टेक पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि चार सेमेस्टर होगी। अभ्यर्थियों को विनियमों में विहित अनुसार उद्योग एवं अन्य अनुमोदित संगठनों में उनके परियोजना कार्य करने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(3) किसी विद्यार्थी को एम.टेक. पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि **5 वर्ष** होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. पाठयकम की संरचना

सभी एम.टेक पाठयकम की संरचना, परीक्षा योजना, पाठयचर्या एवं पाठयकम, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा समय समय पर विहित अनुसार होगी।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, आंतरिक सतत मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ख) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक सतत मूल्यांकन परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, प्रत्येक पाठ्यकम के लिए विद्या परिषद द्वारा विहित अनुसार होगा।

(2) केडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक केडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक केडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार केडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में केडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित केडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(ग) कोई अभ्यर्थी, एम.टेक डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त केडिट को अर्जित करता है।

6. उपस्थिति

विद्यार्थियों से 100% उपस्थिति अपेक्षित है। बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों से, जो विद्यार्थी के नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख की लिखित अनुमति अनिवार्य है। किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी से, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक होने वाले व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, परंतु यह कि 05% तक की उपस्थिति में कमी को, कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

किसी विद्यार्थी को, कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के लिये उन्नयन किया जायेगा, यदि उसने, विश्वविद्यालय के विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा किया हो।

8. परियोजना एवं थीसीस मूल्यांकन

परियोजना कार्य एवं थीसीस का मूल्यांकन, विद्या परिषद द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये विनियमों में वर्णित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

9. कार्यक्रम (पाठयक्रम) अंतराल

विद्यार्थी को कार्य ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम में अंतराल लेने की अनुमति दी जा सकती है परंतु यह कि उन्होंने पाठयकम कार्य पूर्ण कर लिया हो। परियोजना कार्य, संगठन, जहां वे कार्य करते है यदि

उन्हे शोध एवं विकास कार्य हेतु वांछित हो, में अथवा विश्वविद्यालय में पश्चातवर्ती कालावधि के दौरान किया जा सकेगा। ऐसा विद्यार्थी, कार्यक्रम के पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि के भीतर परियोजना कार्य पूर्ण करेंगे। पश्चातवर्ती तिथि में परियोजना कार्य पूर्ण करने के आशय से किसी भी प्रक्रम पर अपना कार्यक्रम अनिरंतर करने के इच्छुक विद्यार्थी, निवेदन करेंगे तथा ऐसा करने के पूर्व स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की अनुमति प्राप्त करेंगे।

10. *उद्योग या अन्य संगठनों में परियोजना कार्य*

(1) शोध एवं विकास संगठन, जो प्रस्तावित क्षेत्र में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध कराते है, से प्रायोजित विद्यार्थियों तथा उन विद्यार्थियों जो पाठयक्रम कार्य पूर्ण करने के बाद ऐसे संगठन में नियोजित हुए हो, को ऐसे संगठन में उनके परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) नियमित विद्यार्थी को भी, ख्यातिप्राप्त शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्यातिप्राप्त संगठन में, अपने परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(3) विद्यार्थी जिसे उद्योग और शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्यातिप्राप्त संगठन में, परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने हेतु अनुमति दी गई है, ऐसे कार्य की अवधि के लिए विश्वविद्यालय को ट्यूशन एवं अन्य फीस का भुगतान करेंगे। वे विश्वविद्यालय से स्टायफंड/स्कालरशीप/फेलोशीप प्राप्त करने हेतु पात्र नही होंगे, यदि वे उद्योग/संगठन जिसमें वे परियोजना/थीसीस कार्य कर रहें हैं, से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहें हों।

11. केडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ–साथ केडिट के अन्तर्गत इसका अधिभार, संबंधित अध्ययन मण्डल (बी.ओ.एस.) द्वारा अनुशंसित होगा तथा विद्या परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान केवल अनुमोदित पाठयक्रम ही दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को, एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को प्रदान की गई लेटर ग्रेड, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक सतत मूल्यांकन में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(3) उपयोग की जाने वाली लेटर ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (जो ग्रेड प्वाइंट कहलायेंगे), इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार तथा समय–समय पर संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक के लिये तथा पाठ्यचर्या के प्रत्येक माड्यूल (मापांक) हेतु पृथक से लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

(5) किसी सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड बिन्दु औसत (एसजीपीए), सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एसजीपीए, विद्या परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार संगणित की जायेगी।

(6) संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए), डिग्री कार्यक्रम में उसका/उसकी प्रवेश हेतु, लिये गये समस्त पाठ्यक्रम हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए तथा सीजीपीए की गणना, पूर्णांकित किये बिना, दशमलव के दो स्थानों तक की जायेगी।

(8) किसी विशिष्ट विषय को उत्तीर्ण करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड तथा ग्रेड बिन्दु, उसके विद्या परिषद द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(9) विद्यार्थी, किसी विशिष्ट विषय के लिये आबंटित किये गये समस्त केडिटों को अर्जित करेगा, यदि वह, उस विषय को उत्तीर्ण करता/करती हो।

(10) डिग्री के अवार्ड हेतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए अर्जित किया जाना चाहिये।

(11) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पर, पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शित होगा। सीजीपीए को, समतुल्य प्रतिशत अंक में इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

12. अनुलिपी

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में, विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए तथा अंतिम सीजीपीए अंतर्विष्ट होंगे।

13. उपरोक्त के होते हुये भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एम.टेक डिग्री के लिये अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम, यूजीसी या एआईसीटीई के सुसंगत विनियमों /मापदण्डों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप है।

14. अध्यादेश तथा परीक्षा, मूल्यांकन नीति एवं उच्च सेमेस्टर में उन्नयन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 05
डिजाइन में स्नातक (बी.डिजा.) चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

(1) फैशन डिजाइन (संक्षेप में, 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, चार वर्ष की कालावधि का होगा तथा संबंधित शाखा में, डिजाइन में स्नातक (बी.डिजा.) के रूप में अभिहित होगा।

(2) बी.डिजा. की डिग्री, पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड एवं क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) बी.डिजा. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त, राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मण्डल/विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2 परीक्षा), इस संबंध में प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा।

(2) सभी बी.डिजा. पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रस्ताव, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में अथवा विद्या परिषद् द्वारा विहित अनुसार, प्रथम वर्षीय स्तर में दिया जायेगा। प्रवेश नीति, विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण किया जायेगा।

(3) अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) तथा विदेशी नागरिक भी बी. डिजा. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि उनके द्वारा उच्चतर

माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा कोई अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका हो। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश, एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण के आधार पर किसी विद्यार्थी को बी. डिजा. पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, कार्यक्रम के संबंध में शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी स्तर में किया जा सकेगा। परंतु इस योजना के अधीन, प्रथम वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय, किसी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है तथा असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर उसका/उसकी कैरियर के किसी प्रक्रम में उसका/उसकी अध्ययन को समाप्त करने के लिये उसे पूछ सकता है।

(6) अध्यादेश तथा प्रवेश नीति, पात्रताएं एवं चयन प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर दिया गया हैं, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण और संशोधन किया जा सकता है।

(7) अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्षों की है जो आठ समान सेमेस्टरों में विभाजित होगी।

(2) विश्वविद्यालय, इच्छुक अभ्यर्थियों को आठवें सेमेस्टर परीक्षा के अंत में कैपस्टोन सेमेस्टर का प्रस्ताव दे सकेगा। यह, आठ सप्ताह की अवधि तक का होगा। इस सेमेस्टर के लिये पृथक शुल्क प्रभारित की जायेगी जिसे प्रबंध मंडल द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(4) किसी विद्यार्थी को बी.डिजा. पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि सात वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. परीक्षा

(1) विश्वविद्यालय, अध्ययन पाठयक्रम के दौरान विद्यार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिये आंतरिक सतत् मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा समाविष्ट सतत मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यक्रमों के सभी घटको के लिए, सेमेस्टरांत परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक सतत् मूल्यांकन के लिये विस्तृत परीक्षा योजना, विद्या परिषद द्वारा नियत की जायेगी।

(3) कोई भी विद्यार्थी, सेमेस्टरांत परीक्षा में स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक द्वारा, निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से उपस्थित होने से विवर्जित हो सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशंसा पर, यदि

(एक) व्याख्यान/टॅयूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा सेमेस्टर में, विद्या परिषद द्वारा यथा निर्धारित की जाये।

(दो) सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।

(4) विश्वविद्यालय, नियमित विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा, उन विद्यार्थियों को भी सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने हेतु भी समर्थ बनायेगा, जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या चूक कर गये है।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी, किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णरूपेण उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे डिवीजन/अंक/ग्रेड में सुधार हेतु या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

(6) अध्यादेश एवं परीक्षा प्रकिया, जैसा कि ऊपर दिया गया है, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जा सकेगा।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ख) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्या परिषद द्वारा विहित अनुसार होगा।

(2) क्रेडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक क्रेडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक क्रेडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार क्रेडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित क्रेडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(ग) कोई अभ्यर्थी, बी.डिजा. डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त क्रेडिट को अर्जित करता है।

6. उपस्थिति

विद्यार्थियों से 100% उपस्थिति अपेक्षित है। बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों से, जो विद्यार्थी के नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख की लिखित अनुमति अनिवार्य है। किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी से, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक होने वाले व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, परंतु यह कि 05% तक की उपस्थिति में कमी को, कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

किसी विद्यार्थी को, कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के लिये उन्नयन किया जायेगा, यदि उसने, पूर्व सेमेस्टर या संबंधित वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम एसजीपीए एवं सीजीपीए प्राप्त किया है, जैसा कि विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए।

8. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ–साथ क्रेडिट के अन्तर्गत इसका अधिभार, संबंधित अध्ययन मण्डल (बी. ओ.एस.) द्वारा अनुशंसित होगा तथा विद्या परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान केवल अनुमोदित पाठयक्रम ही दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को, एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को प्रदान की गई लेटर ग्रेड, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(3) उपयोग की जाने वाली लेटर ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (ग्रेड प्वाइंट कहलायेंगे), इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार तथा समय–समय पर संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक के लिये तथा पाठ्यचर्या के प्रत्येक माड्यूल (मापांक) हेतु पृथक से लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

(5) किसी सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड बिन्दु औसत (एसजीपीए), सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एसजीपीए, विद्या परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार संगणित की जायेगी।

(6) संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए), डिग्री कार्यक्रम में उसका/उसकी प्रवेश हेतु, लिये गये समस्त पाठ्यक्रम हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए तथा सीजीपीए की गणना, पूर्णांकित किये बिना, दशमलव के दो स्थानों तक की जायेगी।

(8) किसी विशिष्ट विषय को उत्तीर्ण करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड तथा ग्रेड बिन्दु, उसके विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(9) विद्यार्थी, किसी विशिष्ट विषय के लिये आबंटित किये गये समस्त क्रेडिटों को अर्जित करेगा, यदि वह, उस विषय को उत्तीर्ण करता/करती हो।

(10) डिग्री के अवार्ड हेतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए अर्जित किया जाना चाहिये।

(11) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पर, पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शित होगा। सीजीपीए को, समतुल्य प्रतिशत अंक में इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

9. अनुलिपी

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में, विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए तथा अंतिम सीजीपीए अंतर्विष्ट होंगे।

10. उपरोक्त के होते हुये भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.डिजा. डिग्री के लिये अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम, यूजीसी/संबंधित विनियामक निकाय, जैसा कि अपेक्षित हो, के सुसंगत विनियमों तथा मानदंडों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप है।

11. अध्यादेश तथा परीक्षा, मूल्यांकन नीति एवं उच्च सेमेस्टर में उन्नयन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 06
डिजाईन में स्नातकोत्तर (एम.डिजा.) दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

डिजाईन में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डिजा), ऐसे अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने इस अध्यादेश के प्रावधानो के अनुसार, विहित कालावधि के भीतर पाठयक्रम कार्य एवं थीसीस कार्य पूर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) प्रवेश नीति, विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जायेगी । यूजीसी/एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी, जो शासी निकाय द्वारा समय समय पर न्यूनतम प्रतिशतता के साथ अध्ययन के सुसंगत क्षेत्र में स्नातक डिग्री के अवार्ड के लिए अर्ह है, एम.डिजा. में प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

(3) एम.डिजा. में प्रवेश हेतु पात्रता मापदण्ड, प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा समय समयय पर विनिश्चित तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अनुसार होगा।

(4) एम.डिजा. डिग्री का अवार्ड, विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) परियोजना कार्य सहित एम.डिजा. पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि चार सेमेस्टर होगी। अभ्यर्थियों को विनियमों में विहित अनुसार उद्योग एवं अन्य अनुमोदित संगठनों में उनके परियोजना कार्य करने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(3) किसी विद्यार्थी को एम.डिजा. पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि **चार वर्ष** होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. पाठयकम की संरचना

सभी एम.डिजा. पाठयकम की संरचना, परीक्षा योजना, पाठयचर्या एवं पाठयकम, विद्या परिषद द्वारा समय समय पर विहित अनुसार होगी।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ख) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्या परिषद द्वारा विहित अनुसार होगा।

(ग) किसी सैद्धांतिक और/या प्रायोगिक (प्रयोगशाला) विषय के आंतरिक मूल्यांकन में असफल विद्यार्थी को, उस विषय मे सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि विद्या परिषद द्वारा विशेष अनुमोदन प्रदान न किया जाये।

(2) क्रेडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक क्रेडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक क्रेडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार क्रेडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में क्रेडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित क्रेडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(ग) कोई अभ्यर्थी, एम.डिजा. डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त क्रेडिट को अर्जित करता है।

6. उपस्थिति

विद्यार्थियों से 100% उपस्थिति अपेक्षित है। बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों से, जो विद्यार्थी के नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख की लिखित अनुमति अनिवार्य है। किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हो रहे अभ्यर्थी से, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक होने वाले व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, परंतु यह कि 05% तक की उपस्थिति में कमी को, कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

किसी विद्यार्थी को, कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के लिये उन्नयन किया जायेगा, यदि उसने, पूर्व सेमेस्टर या संबंधित वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम एसजीपीए एवं सीजीपीए प्राप्त किया है, जैसा कि विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए।

8. परियोजना एवं थीसीस मूल्यांकन

परियोजना कार्य एवं थीसीस का मूल्यांकन, विद्या परिषद द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये विनियमों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

9. कार्यक्रम (पाठयक्रम) अंतराल

विद्यार्थी को कार्य ग्रहण करने के लिए कार्यक्रम में अंतराल लेने की अनुमति दी जा सकती है परंतु यह कि उन्होंने पाठयक्रम कार्य पूर्ण कर लिया हो। परियोजना कार्य, संगठन, जहां वे कार्य करते है यदि उन्हे शोध एवं विकास कार्य हेतु वांछित हो, में अथवा विश्वविद्यालय में पश्चातवर्ती कालावधि के दौरान किया जा सकेगा। ऐसा विद्यार्थी, कार्यक्रम के पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि के भीतर परियोजना कार्य पूर्ण करेंगे। पश्चातवर्ती तिथि में परियोजना कार्य पूर्ण करने के आशय से किसी भी प्रक्रम पर अपना कार्यक्रम अनिरंतर करने के इच्छुक विद्यार्थी, निवेदन करेंगे तथा ऐसा करने के पूर्व स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की अनुमति प्राप्त करेंगे।

10. उद्योग या अन्य संगठनों में परियोजना कार्य

(1) शोध एवं विकास संगठन, जो प्रस्तावित क्षेत्र में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध कराते है, से प्रायोजित विद्यार्थियों तथा उन विद्यार्थियों जो पाठयक्रम कार्य पूर्ण करने के बाद ऐसे संगठन में नियोजित हुए हो, को ऐसे संगठन में उनके परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) नियमित विद्यार्थी को भी, ख्यातिप्राप्त शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्यातिप्राप्त संगठन में, अपने परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(3) विद्यार्थी जिसे उद्योग और शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्यातिप्राप्त संगठन में, परियोजना कार्य एवं थीसीस कार्य संपादित करने हेतु अनुमति दी गई है, ऐसे कार्य की अवधि के लिए विष्वविद्यालय को ट्यूशन एवं अन्य फीस का भुगतान करेंगे। वे विश्वविद्यालय से स्टायफंड/स्कालरशीप/फेलोशीप प्राप्त करने हेतु पात्र नही होंगे, यदि वे उद्योग/संगठन जिसमें वे परियोजना/थीसीस कार्य कर रहें हैं, से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहें हों।

11. केडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ–साथ केडिट के अन्तर्गत इसका अधिभार, संबंधित अध्ययन मण्डल (बी.ओ.एस.) द्वारा अनुशंसित होगा तथा विद्या परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान केवल अनुमोदित पाठयक्रम ही दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को, एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को प्रदान की गई लेटर ग्रेड, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(3) उपयोग की जाने वाली लेटर ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (जो ग्रेड प्वाइंट कहलायेंगे), इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार तथा समय–समय पर संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक के लिये तथा पाठ्यचर्या के प्रत्येक माड्यूल (मापांक) हेतु पृथक से लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

(5) किसी सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड बिन्दु औसत (एसजीपीए), सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एसजीपीए, विद्या परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार संगणित की जायेगी।

(6) संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए), डिग्री कार्यक्रम में उसका/उसकी प्रवेश हेतु, लिये गये समस्त पाठ्यक्रम हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए तथा सीजीपीए की गणना, पूर्णांकित किये बिना, दशमलव के दो स्थानों तक की जायेगी।

(8) किसी विशिष्ट विषय को उत्तीर्ण करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड तथा ग्रेड बिन्दु, उसके विद्या परिषद द्वारा इस संबंध में समय समय पर बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(9) विद्यार्थी, किसी विशिष्ट विषय के लिये आबंटित किये गये समस्त क्रेडिटों को अर्जित करेगा, यदि वह, उस विषय को उत्तीर्ण करता/करती हो।

(10) डिग्री के अवार्ड हेतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए अर्जित किया जाना चाहिये।

(11) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पर, पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शित होगा। सीजीपीए को, समतुल्य प्रतिशत अंक में इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

12. अनुलिपी

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में, विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए तथा अंतिम सीजीपीए अंतर्विष्ट होंगे।

13. उपरोक्त के होते हुये भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि एम.डिजा. डिग्री के लिये अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम, यूजीसी के सुसंगत विनियमों /मापदण्डों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप है।

14. अध्यादेश तथा परीक्षा, मूल्यांकन नीति एवं उच्च सेमेस्टर में उन्नयन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 07
व्यवसाय प्रशासन आनर्स में स्नातक (बी.बी.ए.आनर्स.) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

(1) व्यवसाय प्रशासन आनर्स (संक्षेप में, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, तीन वर्ष की कालावधि का होगा तथा व्यवसाय प्रशासन आनर्स में स्नातक (बी.बी.ए.आनर्स.) के रूप में अभिहित होगा।

(2) बी.बी.ए.आनर्स की डिग्री, व्यवसाय प्रशासन के विभिन्न शाखाओं के लिए, पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा विभिन्न मूल्यांकनों के माध्यम से अर्जित ग्रेड एवं केडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) बी.बी.ए.आनर्स प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त, मण्डल/परिषद/विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2 परीक्षा) या समकक्ष, इस संबंध में प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा।

(2) एमीटी सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएमसीएटी), व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं लिखित दक्षता परीक्षा अर्ह होना चाहिए।

(3) अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) तथा विदेशी नागरिक भी बी.बी.ए.आनर्स पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि उनके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा कोई अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका हो। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश, एमीटी सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएमसीएटी), व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं लिखित दक्षता परीक्षा अर्ह होने के आधार पर दिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण के आधार पर किसी विद्यार्थी को बी.बी.ए.आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, कार्यक्रम के संबंध में शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी स्तर में किया जा सकेगा। परंतु इस योजना के अधीन, प्रथम वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय, किसी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है तथा असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर उसका/उसकी कैरियर के किसी प्रक्रम में उसका/उसकी अध्ययन को समाप्त करने के लिये उसे पूछ सकता है।

(6) अध्यादेश तथा प्रवेश नीति, पात्रताएं एवं चयन प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर दिया गया हैं, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण और संशोधन किया जा सकता है।

(7) अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्षों की है जो छः समान सेमेस्टरों में विभाजित होगी।

(2) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(3) किसी विद्यार्थी को बी.बी.ए.आनर्स पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि पांच वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. परीक्षा

(1) विश्वविद्यालय, अध्ययन पाठ्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्षन के मूल्यांकन के लिये आंतरिक मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा को समाविष्ट करते हुए सतत मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यक्रमों के सभी घटको के लिए, सेमेस्टरांत परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक मूल्यांकन के लिये विस्तृत परीक्षा योजना, विद्या परिषद द्वारा नियत की जायेगी।

(3) कोई भी विद्यार्थी, सेमेस्टरांत परीक्षा में स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक द्वारा, निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से उपस्थित होने से विवर्जित हो सकेगा:

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशंसा पर, यदि

(एक) व्याख्यान/टॅयूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा सेमेस्टर में, विद्या परिषद द्वारा यथा निर्धारित की जाये।

(दो) सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।

(4) विश्वविद्यालय, नियमित विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा, उन विद्यार्थियों को भी सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने हेतु भी समर्थ बनायेगा, जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या चूक कर गये है।

(5) शिक्षकगण, ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में चूक गये या अनुत्तीर्ण हो गये हो, के लिए स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ मेकअप परीक्षा आयोजित करेंगे।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी, किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णरूपेण उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे डिवीजन/अंक/ग्रेड में सुधार हेतु या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

(7) अध्यादेश एवं परीक्षा प्रकिया, जैसा कि ऊपर दिया गया है, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जा सकेगा।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ख) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्या परिषद द्वारा विहित अनुसार होगा।

(2) केडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक केडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक केडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार केडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक अंक होगा। यदि विषय में केडिट भिन्नात्मक हो जाता है तो निकटतम संपूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) कोई अभ्यर्थी, सेमेस्टर में आबंटित केडिट को तब ही अर्जित करेगा, जब वह उक्त सेमेस्टर को उत्तीर्ण करता है।

(ग) कोई अभ्यर्थी, बी.बी.ए.आनर्स डिग्री के अवार्ड हेतु तब ही पात्र होगा, जब वह पाठ्यक्रम जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में आबंटित समस्त केडिट को अर्जित करता है।

6. उपस्थिति

विद्यार्थियों से 100% उपस्थिति अपेक्षित है। बीमारी हेतु देखरेख या अन्य वैध कारणों से, जो विद्यार्थी के नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 25% की छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख की लिखित अनुमति अनिवार्य है। किसी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित

हो रहे अभ्यर्थी से, अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक होने वाले व्याख्यान और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है, परंतु यह कि 05% तक की उपस्थिति में कमी को, कुलपति द्वारा माफ किया जा सकेगा।

7. उच्च सेमेस्टर में उन्नयन

किसी विद्यार्थी को, कार्यक्रम के अगले शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के लिये उन्नयन किया जायेगा, यदि उसने, पूर्व सेमेस्टर या संबंधित वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम एसजीपीए एवं सीजीपीए प्राप्त किया है, जैसा कि विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए।

8. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग प्रणाली

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ–साथ क्रेडिट के अन्तर्गत इसका अधिभार, संबंधित अध्ययन मण्डल (बी.ओ.एस.) द्वारा अनुशंसित होगा तथा विद्या परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होगा। किसी भी सेमेस्टर के दौरान केवल अनुमोदित पाठयक्रम ही दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को, एक लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को प्रदान की गई लेटर ग्रेड, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन में उसके संचयी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

(3) उपयोग की जाने वाली लेटर ग्रेड तथा उनके संख्यात्मक समतुल्यता (ग्रेड प्वाइंट कहलायेंगे), इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार तथा समय–समय पर संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(4) प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक के लिये तथा पाठ्यचर्या के प्रत्येक माड्यूल (मापांक) हेतु पृथक से लेटर ग्रेड प्रदान किया जायेगा।

(5) किसी सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड बिन्दु औसत (एसजीपीए), सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एसजीपीए, विद्या परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार संगणित की जायेगी।

(6) संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सीजीपीए), डिग्री कार्यक्रम में उसका/उसकी प्रवेश हेतु, लिये गये समस्त पाठ्यक्रम हेतु किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड बिन्दु का भारित औसत है तथा किसी विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है।

(7) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, एसजीपीए तथा सीजीपीए की गणना, पूर्णांकित किये बिना, दशमलव के दो स्थानों तक की जायेगी।

(8) किसी विशिष्ट विषय को उत्तीर्ण करने के लिये न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड तथा ग्रेड बिन्दु, उसके विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(9) विद्यार्थी, किसी विशिष्ट विषय के लिये आबंटित किये गये समस्त क्रेडिटों को अर्जित करेगा, यदि वह, उस विषय को उत्तीर्ण करता/करती हो।

(10) डिग्री के अवार्ड हेतु किसी अभ्यर्थी के द्वारा, इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार न्यूनतम सीजीपीए अर्जित किया जाना चाहिये।

(11) पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, अंतिम परीक्षा ग्रेड पत्रक पर, पाठ्यक्रम में अर्जित सीजीपीए दर्शित होगा। सीजीपीए को, समतुल्य प्रतिशत अंक में इस संबंध में विद्या परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

9. अनुलिपी

पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी को जारी अनुलिपी में, विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टरवार लिये गये समस्त पाठ्यक्रमों के समेकित अभिलेख, अभिप्राप्त ग्रेड, प्रत्येक सेमेस्टर का एसजीपीए तथा अंतिम सीजीपीए अंतर्विष्ट होंगे।

10. उपरोक्त के होते हुये भी, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बीबीए आनर्स डिग्री के लिये अग्रसरित अध्ययन कार्यक्रम, यूजीसी के सुसंगत विनियमों तथा मापदण्डों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप है।

11. अध्यादेश तथा परीक्षा, मूल्यांकन नीति एवं उच्च सेमेस्टर में उन्नयन, जैसा कि ऊपर दिया गया है, को विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, समय–समय पर, पुनरीक्षित तथा संशोधित की जा सकेगी।

एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
अध्यादेश क्र. 08
सत्कार एवं पर्यटन प्रबंधन आनर्स में स्नातक (बी.एच.टी.एम. आनर्स.) तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

(1) सत्कार एवं पर्यटन प्रबंधन (संक्षेप में, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, तीन वर्ष की कालावधि का होगा तथा सत्कार एवं पर्यटन प्रबंधन आनर्स में स्नातक (बी.एच.टी.एम.) के रूप में अभिहित होगा।

(2) बी.एच.टी.एम. की डिग्री, सत्कार प्रबंधन के विभिन्न शाखाओं के लिए, पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा विभिन्न मूल्यांकनों के माध्यम से अर्जित ग्रेड एवं क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता

(1) बी.एच.टी.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त, मण्डल/परिषद/विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा (10+2 परीक्षा) या समकक्ष, इस संबंध में प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा।

(2) एमीटी सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएमसीएटी), व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं लिखित दक्षता परीक्षा अर्ह होना चाहिए।

(3) अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) तथा विदेशी नागरिक भी बी.एच.टी.एम. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु यह कि उनके द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) अथवा कोई अन्य समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका हो। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश, एमीटी सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएमसीएटी), व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं लिखित दक्षता परीक्षा अर्ह होने के आधार पर दिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण के आधार पर किसी विद्यार्थी को बी.एच.टी.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, कार्यक्रम के संबंध में शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अध्यधीन किसी भी स्तर में किया जा सकेगा। परंतु इस योजना के अधीन, प्रथम वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय, किसी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार आरक्षित रखता है तथा असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर उसका/उसकी कैरियर के किसी प्रक्रम में उसका/उसकी अध्ययन को समाप्त करने के लिये उसे पूछ सकता है।

(6) अध्यादेश तथा प्रवेश नीति, पात्रताएं एवं चयन प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर दिया गया हैं, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण और संशोधन किया जा सकता है।

(7) अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त व्यक्ति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(1) पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्षों की है जो छः समान सेमेस्टरों में विभाजित होगी।

(2) शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल सम्मिलित हैं, की घोषणा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विद्या परिषद द्वारा की जायेगी।

(3) किसी विद्यार्थी को बी.एच.टी.एम. पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अधिकतम उपलब्ध अवधि पांच वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में, प्रत्याहरण, अनुपस्थिति एवं किसी विद्यार्थी को दी गई विभिन्न प्रकार की अवकाश अनुमति की अवधि सम्मिलित होंगे परंतु निष्कासन की अवधि, यदि कोई हो, अपवर्जित हो जायेगी।

(5) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी, शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित कालावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करायेगा/करायेगी।

4. परीक्षा

(1) विश्वविद्यालय, अध्ययन पाठ्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्षन के मूल्यांकन के लिये सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन तथा सेमेस्टरांत परीक्षा को समाविष्ट करते हुए सतत मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यक्रमों के सभी घटको के लिए, सेमेस्टरांत परीक्षा के साथ–साथ आंतरिक मूल्यांकन के लिये विस्तृत परीक्षा योजना, विद्या परिषद द्वारा नियत की जायेगी।

(3) कोई भी विद्यार्थी, सेमेस्टरांत परीक्षा में स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक द्वारा, निम्नलिखित में से किन्हीं कारणों से उपस्थित होने से विवर्जित हो सकेगा:

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुशंसा पर, यदि

(एक) व्याख्यान/टॅयूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा सेमेस्टर में, विद्या परिषद द्वारा यथा निर्धारित की जाये।

(दो) सेमेस्टर के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।

(4) विश्वविद्यालय, नियमित विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा, उन विद्यार्थियों को भी सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने हेतु भी समर्थ बनायेगा, जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण या चूक कर गये है।

(5) शिक्षकगण, ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में चूक गये या अनुत्तीर्ण हो गये हो, के लिए स्कूल/संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ मेकअप परीक्षा आयोजित करेंगे।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी, किसी सेमेस्टर परीक्षा में पूर्णरूपेण उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे डिवीजन/अंक/ग्रेड में सुधार हेतु या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उस परीक्षा में पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

(7) अध्यादेश एवं परीक्षा प्रकिया, जैसा कि ऊपर दिया गया है, में विद्या परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये समय–समय पर पुनरीक्षण एवं संशोधन किया जा सकेगा।

5. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)

(1) अंकों के आधार पर

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में किसी अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन समाविष्ट सतत् मूल्यांकन प्रणाली का अनुपालन करते हुए पृथक तौर पर पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक के लिये किया जायेगा। पाठ्यचर्या के प्रत्येक घटक में अधिकतम अंक, विद्या परिषद द्वारा घोषित मूल्यांकन योजना के अनुसार होगा।

(ख) सेमेस्टरांत परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विद्या परिषद द्वारा विहित अनुसार होगा।

(2) केडिट के आधार पर

(क) संपर्क व्याख्यान (L) का एक घंटा, एक केडिट के समतुल्य होगा, यतः संपर्क ट्यूटोरियल (T) तथा/या प्रायोगिक (P) के दो घंटे, एक केडिट के समतुल्य होगा। इसी प्रकार केडिट={L+(T+P)/2} होगा। किसी विषय में केडिट संपूर्ण अंक होगा, न कि भिन्नात्मक